श्वान पशु प्रबन्धन मैनुअल

(परामर्शी मार्ग-निर्देशिका)-2023

नगर विकास विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

शुभाशंसा

अत्यन्त हर्ष का विषय है कि नगर विकास विभाग द्वारा श्वानों की संख्या में हो रही वृद्धि के दृष्टिगत श्वानों के प्रजनन को संतुलित करने, मानव एवं श्वान के बीच बढ़ रहे संघर्ष को रोकने, उनके टीकाकरण, व्याधि उपचार एवं संरक्षण इत्यादि के संबंध में जन सामान्य को विस्तृत जानकारी पहुँचाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। मानव सभ्यता के प्रारम्भ से ही मानव और श्वान के बीच अटूट संबंध रहा है। इस प्रकार मानव जीवन में श्वानवंशीय पशुओं के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। वर्तमान परिस्थिति में मानव एवं श्वानवंशीय पशुओं के बीच बढ़ रहे संघर्ष को मा0 न्यायालयों द्वारा भी संज्ञान में लिया जा रहा है तथा सरकार भी इसके प्रति संवेदनशील हुई है। इसी दिशा में नगर विकास विभाग द्वारा श्वानवंशीय पशुओं के समुचित प्रबन्धन के लिए मार्ग निर्देशिका के रूप में श्वान पशु प्रबन्धन मैनुअल (परामर्शी मार्ग निर्देशिका), 2023 तैयार किया गया है, जो सभी हित धारकों के लिए ज्ञानवर्धक, लाभदायक और उपयोगी होगा।

मैं मैनुअल के सफल प्रकाशन हेतु नगर विकास विभाग की पूरी टीम को अपनी शुभकामना देता हूँ।

(ए. के. शर्मा)
मंत्री
नगर विकास विभाग, शहरी समग्र विकास,
नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग,
उत्तर प्रदेश

मंगलाशा

यह अत्यन्त प्रसन्नता का विषय है कि नगर विकास विभाग द्वारा श्वान पशु प्रबन्धन मैनुअल (परामर्शी मार्ग निर्देशिका), 2023 तैयार किया जा रहा है, जिसमें श्वानों की संख्या में हो रही अवांछित वृद्धि के दृष्टिगत श्वानों के प्रजनन को नियंत्रित करने, मानव एवं श्वान के बीच बढ़ रहे संघर्ष को रोकने, उनके टीकाकरण, व्याधि उपचार एवं संरक्षण इत्यादि के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गयी है। श्वान पशु प्रबन्धन मैनुअल (परामर्शी मार्ग निर्देशिका), 2023 न केवल शासन द्वारा संचालित ए.बी.सी. सेन्टरों के लिए लाभकारी होगा अपितु इससे श्वानों को पालने एवं उनके संरक्षण में लगे प्रत्येक व्यक्ति को इससे लाभ एवं ज्ञान प्राप्त होगा। श्वान पशु प्रबन्धन मैनुअल (परामर्शी मार्ग निर्देशिका), 2023 मानव को श्वानों के देखभाल करने हेतु जागृत करने में भी सक्षम होगा।

मैं मैनुअल के सफल प्रकाशन हेतु नगर विकास विभाग की पूरी टीम को अपनी शुभकामना देता हूँ।

05/4/2023

(राकेश कुमार राठौर 'गुरू')
राज्य मंत्री
नगर विकास विभाग, शहरी समग्र विकास,
नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग,
उत्तर प्रदेश

उद्‌गार

भारत में वर्ष 2019 की 20वीं पशुधन गणना के अनुसार 1.53 करोड़ से अधिक निराश्रित श्वान हैं जिसमें से 20.59 लाख से अधिक निराश्रित श्वान उत्तर प्रदेश में हैं। श्वान की देखभाल, देशी श्वानों को पालतू रखने के लिये प्रोत्साहन देने, ए•बी•सी• प्रोग्राम के सफल संचालन, मानव–पशु संघर्ष के निराकरण, श्वान पशु प्रजनन एवं विक्रय के विनियमन इत्यादि हेतु श्वान पशु प्रबन्धन मैनुअल (परामर्शी मार्ग निर्देशिका–2023) को तैयार किया गया है। इसमें विभिन्न नगर निगमों, श्वान प्रेमियों, श्वान प्रजनन एवं विक्रय केन्द्रों, उत्तर प्रदेश के पशुधन विभाग, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, एच•एस•आई• संस्था, श्वान पशु चिकित्सकों इत्यादि का सहयोग लिया गया है। इसके संकलन एवं सम्पादन में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देने वाली नगर विकास विभाग की पूरी टीम और श्वान पशु से सम्बंधित विभिन्न संस्थाओं और श्वान प्रेमियों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यह मैनुअल न केवल श्वान पशु हितधारकों के लिए मार्गदर्शन करेगा, अपितु वे श्वान का वैज्ञानिक प्रबंधन भी कर सकेंगे।

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

शुभकामना संदेश

'विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि। शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः' अर्थात् श्रीमद्भगवद्गीता में भी गाय, हाथी, श्वान, मनुष्य एवं ब्राह्मण में समरूप परमात्मा का दर्शन करने वाले व्यक्ति को ज्ञानी महापुरूष कहा गया है। जब मेरा विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पद पर पदस्थापन हुआ तो मुझे नगर विकास अनुभाग–7 एवं 8 का दायित्व मिला। मैं हमेशा से जीव दया के कारण गाय और श्वान से विशेष लगाव रखता था। इसलिये यह केवल संयोग नहीं था, अपितु मुझे यह प्रतीति हुई कि ईश्वर ने विशेष प्रयोजन के लिये मुझे यहाँ भेजा है। जब प्रमुख सचिव महोदय से इस विषय में चर्चा हुई तो उन्होंने गाय और श्वान के वैज्ञानिक प्रबन्धन से संबंधित मैनुअल बनाने के लिये कहा। इसके साथ–साथ प्रमुख सचिव महोदय ने इससे संबंधित अनेक बैठकें लीं और हमारी टीम को मार्गदर्शन दिया। इसके बाद कई फील्ड विजिट, विभिन्न राज्य और राष्ट्रीय स्तर की बैठकों, अन्तरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर की विभिन्न संस्थाओं, श्वान पालन से सम्बंधित जुड़े विभिन्न श्वान प्रेमियों, विभिन्न शासनादेशों, उत्तर प्रदेश के पशुधन विभाग से जुड़े अधिकारियों, माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों इत्यादि के आलोक में अनुभाग–8 के अनुसचिव, श्री के0पी0सिंह; अनुभाग अधिकारी, श्री अवधेश कुमार यादव आदि के सहयोग से इस मैनुअल को संकलित और सम्पादित किया गया है। इस परामर्शी मार्गनिर्देशिका से सभी हितधारकों को न केवल ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी सामग्री मिलेगी, अपितु श्वान के वैज्ञानिक और एकरूप प्रबन्धन में भी सहयोग मिलेगा।

मैं विशेष रूप से श्री ए•के•शर्मा जी, मा• मंत्री जी, नगर विकास विभाग, श्री राकेश सिंह राठौर 'गुरू' जी, मा• राज्य मंत्री, नगर विकास विभाग, श्री अमृत अभिजात, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, श्री रंजन कुमार, सचिव, नगर विकास विभाग, श्रीमती नेहा शर्मा, निदेशक, नगर निकाय निदेशालय तथा इस श्वान पशु प्रबन्धन मैनुअल के संपादन एवं संकलन में योगदान देने वाले सभी प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सहयोगियों का धन्यवाद करता हूँ।

04.04.2023

(डॉ• राजेन्द्र पैंसिया)
विशेष सचिव,
नगर विकास विभाग,
उ•प्र•शासन

अनुक्रमणिका

क्र.स.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	श्वान पशु परिचय एवं उद्देश्य	4
2	श्वान पशु की सामाजिक महत	6
3	देशी श्वानों को पालतू रखे जाने के लिए प्रोत्साहन	8
4	पालतू श्वान पशु स्वामियों के उत्तरदायित्व	10
5	निराश्रित श्वानों को भोजन उपलब्ध कराने तथा मानव संघर्ष के निराकरण हेतु	13
6	श्वान पशु प्रजनन एवं विक्रय की रोकथाम तथा विनियमन	17
7	श्वानों का चिकित्सीय उपचार	21
8	श्वान पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम (ए.बी.सी. प्रोग्राम) मैनेजमेंट मैनुअल	23
9	भारत में देशी श्वानों की प्रमुख प्रजातियाँ	54
10	परिशिष्ट	59

Abbreviation

ABC	Animal Birth Control Centre	पशु जन्म नियंत्रण केंद्र
ARV	Anti-Rabies Vaccine	एन्टी रेबीज वैक्सीन
AWBI	Animal Welfare Board of India	भारतीय पशु कल्याण बोर्ड
CD	Canine Distemper	कैनाईन डिस्टेम्पर
CCTV	Close Circuit Television	क्लोज सर्किट टेलीविजन
OT	Operation Theatre	ऑपरेशन थिएटर
POC	Post Operative Care	पोस्ट ऑपरेटिव केयर
POPR	Post Operative Preparation Room	पोस्ट ऑपरेटिव प्रिप्रेशन रूम
PCA	Prevention of Animal Cruelty Act	पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम
RP	Rabies Protocol	रेबीज प्रोटोकाल
RWA	Resident Welfare Association	निवासी कल्याण संघ
SIR	Stock Inventory Record	स्टॉक इनवेंटरी रिकॉर्ड
SOP	Standard Operating procedure	मानक संचालन प्रक्रिया
SPCA	Society for Prevention of Cruelty to Animal Act	सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनीमल एक्ट
VCI	Veterinary Council of India	भारतीय पशु चिकित्सा परिषद

अध्याय-1
श्वान पशु परिचय एवं उद्देश्य

परिचय-

- मानव सभ्यता के प्रारम्भ से ही मानव और श्वान के बीच अटूट सम्बन्ध रहा है। आखेटक एवं खाद्य संग्राहक समाज में मनुष्य श्वानों को अन्य जीव जन्तुओं से अपनी सुरक्षा के लिए पालता था। श्वानों की अपने स्वामी के प्रति समर्पण एवं प्यार की भावना के कारण ही कृषक एवं औद्योगिक समाजों में भी मानव के पालतू पशुओं में उन्हें महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। श्वान का औसत जीवन-काल 10-15 वर्ष तक का होता है। यह एक सर्वाहारी जीव है। मानव एवं श्वानों के मध्य घनिष्ठ सम्बन्ध के कारण इसे मानव का सबसे अच्छे मित्र की संज्ञा प्रदान की गयी है।

  मानव श्वान सम्बन्ध का दूसरा पहलू मानव-श्वान संघर्ष भी है। इसके कारणों में से मुख्य कारण पशु स्वामियों द्वारा पालतू श्वानों को समुचित वातावरण न देना एवं स्ट्रीट डॉग संख्या में अनियंत्रित वृद्धि है। उक्त के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा कई नियम बनाये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त माननीय न्यायालयों द्वारा समय-समय पर निर्णय दिये गये हैं।

  यह मार्गदर्शी सिद्वांत विभिन्न माननीय न्यायालय के अधिनिर्णयों, अधिनियमों और नियमों द्वारा श्वानों की संख्या का प्रबंधन, सामुदायिक श्वान की देखभाल और पालतू श्वानों के स्वामित्व के संबंध में अनिवार्य सभी बिंदुओं को संकलित करता है। यह सिद्वांत इसलिए जारी किए जा रहे हैं ताकि सामान्य श्वान प्रबंधन में एकरूपता बनी रहे। 20वीं पशुधन गणना-2019 अखिल भारतीय रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1.53 करोड़ से अधिक निराश्रित श्वान हैं और उक्त में से उत्तर प्रदेश राज्य में 20.59 लाख से अधिक निराश्रित श्वान है, वहीं उत्तर प्रदेश में लगभग 4.22 लाख से अधिक पालतू श्वान भी है।

- **उद्देश्य-**
  I. श्वानों की संख्या में अवांछित वृद्धि के दृष्टिगत श्वानों के प्रजनन और विक्रय को नियंत्रित करना।
  II. श्वानों के प्रजनन को नियंत्रित करने, टीकाकरण एवं व्याधि उपचार इत्यादि हेतु आवश्यक कार्यवाही करना।

- श्वानों को खिलाने वालों/देखभाल करने वालों और शेष समाज के बीच विवाद के संबंध में, दिल्ली उच्च न्यायालय की टिप्पणियों [डॉ. माया डी छबलानी बनाम राधा मित्तल व अन्य, आई.ए. 2021/4164] को उत्तर प्रदेश में अपनाया गया है तथा भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 में भी इसका उल्लेख किया गया है। **जीवों का यह अधिकार है कि उनके साथ करुणा, सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाये। पशुधन बोध-क्षम होतें हैं जिनकी एक पारिस्थितिकीय एवं आंतरिक महत्ता है। इसलिए ऐसे जीवों की सुरक्षा सरकार और गैर-सरकारी संगठनों सहित प्रत्येक नागरिक का नैतिक उत्तरदायित्व है। हमें सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया दिखानी होगी। जीव चाहे मूक हों लेकिन समाज के रूप में हमें उनकी ओर से बोलना होगा। जीवों को कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए। जीवों के प्रति क्रूरता से उन्हें मानसिक पीड़ा होती है। जीव हमारी तरह सांस लेते हैं और उनमें भी संवेदना होती हैं। जीवों को भोजन, पानी, आश्रय, संवेदना पूर्ण व्यवहार, चिकित्सा, देखभाल और आत्म निर्णय की आवश्यकता होती है।** सामुदायिक श्वानों (निराश्रित/मार्गीय श्वानों) को भोजन का अधिकार है और नागरिकों को सामुदायिक श्वानों को खिलाने का अधिकार है लेकिन इस अधिकार का प्रयोग करते समय देख-भाल और सावधानी रखनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इससे दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन न हो या कोई हानि न हो और अन्य व्यक्तियों या समाज के सदस्यों के लिए बाधा, उत्पीड़न और उपद्रव की स्थिति न बने।

अध्याय-2
श्वान की सामाजिक महत्ता

हमारे छात्र जीवन से एक श्लोक सिखाया जाता है-

काक चेष्टा बको ध्यानं, श्वान निद्रा तथैव च ।
अल्पाहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणं ॥

इस श्लोक के माध्यम से हमारे जीवन में श्वान की महत्ता स्वयंसिद्ध है। कहा जाता है कि मनुष्य के सामाजीकरण के साथ ही प्रथम जीव जिसे पालतू बनाया गया वह श्वान ही था। भारत में **पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी श्वान को** देने की एक सभ्यतामूलक परम्परा रही है। भारत में श्वानों का अत्यधिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक महत्व है जिसका अनेक वैदिक एवं पौराणिक ग्रन्थों में बार-बार संदर्भ मिलता है। श्वानों के संदर्भ में भारतीय सांस्कृतिक इतिहास में अनेक तथ्य मिलते हैं, उक्त में से कुछ तथ्य निम्नवत है:-

- कहा जाता है कि मृत्यु और न्याय के देवता यम अपने दो चार-आंखों वाले दो श्वानों (सरमा के बच्चे शर्वर और श्यामा) की सहायता से नरक के द्वारों पर पहरा देते हैं।
- सरमा (देव-शुनी) का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है जिसमें इनका प्रयोग चोरों के पदचिन्हों पर चलते हुए पणिस असुरों द्वारा चुराई गई दिव्य गायों को वापस लाने में इंद्र की सहायता करने के लिए किया गया है। महाभारत और कुछ पुराणों में भी उनका उल्लेख है। वह सभी श्वानों की माँ और यहाँ तक कि सभी वनीय जीव-जन्तुओं की माँ के रूप में जानी जाती है।
- महाभारत में सबसे बड़े पांडव युधिष्ठिर ने अनुरोध किया कि उनकी तपस्या के समय उनका पालन करने वाले स्वामिभक्त श्वान को स्वर्ग में जगह दी जाए। उन्होंने कहा कि जीवों का परित्याग करना पाप होगा। यह श्वान यम ही थे जिसने युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए यह रूप धारण किया था।
- भगवान शिव, भैरव के रूप में उनका दिव्य वाहन एक श्वान था। कुछ मान्यताओं के अनुसार काले श्वान को पुनर्जन्म हुए भैरव भी कहा जाता है।
- दत्तात्रेय को अक्सर चार श्वानों और एक गाय से घिरे होने के रूप में चित्रित किया जाता है, जो चार वेदों और धरती माता का प्रतीक है तथा जो सभी जीवित प्राणियों का पोषण भी करती है।
- वाल्मीकि रामायण में, भगवान राम ने श्वान को पीड़ित करने के लिए एक व्यक्ति की निंदा की है।

अध्याय-3
भारतीय श्वानों को पालतू श्वानों के रूप में अपनाने हेतु प्रोत्साहन

जीव दया के भारतीय संस्कृति को चिरंजीव रखने तथा पशु क्रूरता को रोकने की दिशा में देशी श्वानों को अपनाये जाने के निम्नलिखित कारण हैं:-

- अनुसंधान से पता चलता है कि भारतीय श्वान जिन्हें अक्सर इंडी कहा जाता है वह अच्छे घरेलू पालतू जीव बनते हैं क्योंकि वह अच्छे स्वभाव के होते हैं। भारतीय जलवायु में सहजता के साथ अनुकूलन स्थापित कर सकने में सक्षम होने के कारण भारतीय श्वानों की प्रतिरोधक क्षमता विदेशी श्वानों की अपेक्षा ज्यादा होती है।
- वह विशेष प्रजाति श्वानों की तुलना में अधिक स्वस्थ होते हैं क्योंकि उन्हें केवल अच्छा दिखने के लिए पैदा नहीं किया गया है अपितु इन्हें स्वाभाविक रूप से विकसित होने दिया गया है। देशी श्वानों में मोटापा और हिप डिस्प्लाशिया जैसी समस्याएं बहुत ही दुर्लभ हैं। इनकी अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता इन्हें आधारभूत व्यायाम, पौष्टिक भोजन और नियमित स्वास्थ्य जांच के साथ फलने-फूलने की अनुमति देती है।
- देशी श्वान के बाल छोटे होते हैं जो अत्यधिक नहीं झड़ते हैं और इन्हें केवल साप्ताहिक ब्रशिंग की आवश्यकता होती है। इसलिए वह बहुत कम व्यय कराने वाले पालतू जीव हैं।
- क्योंकि देशी श्वान सड़कों पर विकसित हुए हैं- इसलिए वह स्वामिभक्त, बुद्धिमान, अत्यधिक पर्यावरणीय अनुकूल और अच्छे स्वभाव वाले होते हैं। इन लक्षणों के कारण कुछ शहरों में पुलिस बल ने अपने पुलिस दस्ते के लिए देशी श्वान को अपनाना शुरू कर दिया है।
- हमारे लिए यह स्पष्ट है कि देशी श्वान की संख्या किसी क्षेत्र में भोजन और खाद्य अपशिष्ट पदार्थ की मात्रा से संबंधित है। देशी श्वान के उपस्थिति के कारण खाद्य कचरे की उपलब्धता के प्रबन्धन में भी सहायता मिलती है।
- पालतू श्वान के रूप में इंडी श्वानों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें पालतू श्वान के पंजीकरण शुल्क से छूट दी गई है, जैसा कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 के तहत अन्य सभी पालतू श्वानों के लिए आवश्यक है।

FIRST ADOPTER OF STRAY DOG AT LUCKNOW CENTRE

अध्याय-4
पालतू श्वान स्वामियों के उत्तरदायित्व

पालतू श्वानों को अपने साहचर्य में रखने के लिए श्वान पशु स्वामियों के कतिपय उत्तरदायित्व निर्धारित किये गये हैं जो कि निम्नलिखित हैं:-

1- पालतू जीव रखना एक एक स्वतंत्र अधिकार और व्यक्तिगत चयन है जिसका प्रयोग कोई भी नागरिक कर सकता है। कोई भी व्यक्ति या संघ/समाज किसी नागरिक को पालतू जीवों को रखने से प्रतिबंधित नहीं कर सकता है।

2- यह महत्वपूर्ण है कि पालतू जीवों के स्वामी किसी भी झगड़े की सम्भावना को कम करने और दूसरों के लिए बिना व्यवधान पैदा किये अपने पड़ोसियों के प्रति उत्तरदायी और सावधान रहें।

3- पालतू जीवों के स्वामियों को अपने पालतू जीवों की अच्छी देखभाल करनी चाहिए क्योंकि जीव अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह से अपने स्वामियों पर निर्भर रहते हैं। इसलिए उन्हें अपने पालतू जीवों को साफ, स्वस्थ रखना चाहिए और नियमित रूप से टीकाकारण करवाना चाहिए। इसके अलावा पालतू जीवों का बिना स्टरलाइज़ किए गली के श्वानों के सम्पर्क में आने के परिणामस्वरूप आकस्मिक गर्भधारण हो सकता है। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि श्वानस्वामी श्वान की संख्या में वृद्धि का कारण बनने से बचने के लिए अपने पालतू श्वानों की नसबंदी करें।

4- पालतू जीवों के स्वामियों को अपने श्वान को दिन में कम से कम दो बार घुमाने ले जाना चाहिए। यह व्यायाम और मानसिक उत्तेजना के नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि स्वामियों को यह सलाह दी जाती है कि वह अपने पालतू जीवों को सार्वजनिक स्थानों पर और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए)-नियंत्रित क्षेत्रों में उनको पट्टे के द्वारा नियंत्रण में रखे और स्वच्छता बनाए रखने के लिए किसी भी शौच को साफ करने के लिए तत्पर रहें।

5- भौंकना और अन्य प्राकृतिक पशु व्यवहार स्वामियों के विरूद्ध किसी भी कार्रवाई के लिए आधार नहीं हो सकते। हालांकि पड़ोसियों की समस्या कम करने के लिए पालतू जीवों के स्वामियों को सलाह दी जाती है कि वह अपने श्वानों को शांत रखने के लिए जो तर्कसंगत हो वह प्रयास करें, विशेष रूप से रात्रि में।

6- श्वानों को भौंकने से रोकने के लिए मजल (मास्क) का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और न ही समाज या किसी आर.डब्ल्यू.ए. द्वारा इसका प्रयोग अनिवार्य किया जा सकता है। मजल के उपयोग की अनुमति केवल एक योग्य पशुचिकित्सक की पेशेवर राय के आधार पर दी जाती है, जब एक पालतू जीव को चिकित्सा उपचार दिया जा रहा

हो या किसी अपरिचित वातावरण में किसी अपरिचित द्वारा नहलाने/ संवारने का कार्य किया जा रहा हो या वह किसी ऐसी चिकित्सा समस्या से पीड़ित हो जिसके कारणवश श्वान के अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए सार्वजानिक स्थल पर मजल के उपयोग की आवश्यकता हो। इसके इतर किसी अन्य परिस्थिति में मजल के उपयोग की अनुमति नहीं है, साथ ही एक मजल द्वारा मुंहबंद श्वान को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

7- पालतू जीवों का परित्याग/त्याग एक दंडनीय अपराध है। कोई भी पालतू पशु-स्वामी किसी भी स्थिति में अपने पालतू जीवों का परित्याग/ त्याग नहीं करेगा।

8- किसी क्षेत्र विशेष में कितने पालतू श्वानवंशीय पशुओं की संख्या होनी चाहिए, इससे सम्बन्धित अनुदेशों का श्वानस्वामियों द्वारा पूर्णतया अनुपालन किया जाना अपेक्षित होगा।

9- श्वानों के सम्बन्ध में उ.प्र. शासन द्वारा जारी संशोधित एस.ओ.पी. का अनुपालन किया जाना श्वान पशु स्वामियों के लिए आवश्यक होगा।

विश्व रेबीज़ सप्ताह
26 से 28 सितम्बर
रेबीज़ मुक्त अभय संकल्प कॉलोनी
अभय
रेबीज़ विषयक जागरूकता
M-93363 13853

अध्याय-5
निराश्रित श्वान (स्ट्रीटडॉग) पशुओं को खाना खिलाने और विवाद समाधान के सम्बन्ध में

निराश्रित श्वान वह श्वान होते हैं जो शहरों/गलियों में बिना किसी स्वामित्व के भ्रमण करते रहते हैं। साधारण शब्दों में इसे आवारा/निराश्रित श्वान कहा जाता है। ऐसे श्वानों को यदि समुचित ढंग से प्रबंधित नहीं किया गया तो यह मानवीय जीवन में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। निराश्रित श्वान पशुओं को खाना खिलाने और विवाद समाधान के सम्बन्ध में व्यवहार में लाये जाने अनुदेश निम्नवत हैं:-

I. निराश्रित श्वान हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वह अपने क्षेत्रों के लिए पहरेदार के रूप में कार्य करते हैं, अपने देखभाल करने वालों को साहचर्य प्रदान करते हैं, समाज के कूड़ा-भक्षक के रूप में कार्य करते हैं और अपने क्षेत्र में चूहों की आबादी को भी नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार यह रोगों के प्रसार को रोकते हैं। सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि वह जीवों के प्रति दया भाव रखें।

II. किसी को भी निराश्रित श्वान को चोट पहुँचाने, नुकसान पहुँचाने, स्थानांतरित करने, हटाने या मारने या इसके लिए किसी और से भाड़े पर ऐसे कार्य करवाने की अनुमति नहीं है। इस प्रकार का कृत्य कानून में दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।

III. यह सुनिश्चित करना निवासियों की उत्तरदायित्व है कि उनके क्षेत्र में सभी श्वानों की नसबंदी की जाए और स्थानीय प्राधिकरण/निकाय द्वारा नियमित रूप से टीकाकरण किया जाए।

IV. जीवों के प्रति क्रूरता की रोकथाम के लिए जिला पशु क्रूरता निवारण समिति (एस.पी.सी.ए.) यह सुनिश्चित करेगी कि सभी आर.डब्ल्यू.ए. में एक पशु कल्याण समिति हो, जो पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगी और निराश्रित श्वानों की देखभाल करने वालों, फीडर या पशु प्रेमियों तथा अन्य निवासियों के बीच सद्भाव एवं सुगम संचार सुनिश्चित करेगी।

V. कोई भी आरडब्ल्यूए/समाज/व्यक्ति किसी भी दयालु हृदय व्यक्ति को निराश्रित श्वानों को खिलाने या उनकी देखभाल करने से प्रतिबंधित नहीं कर सकता है। किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में आरडब्ल्यूए और फीडर्स जहाँ लोगों का

ज्यादा आवागमन हो ऐसे स्थानों से दूर, लेकिन श्वानों के अपने क्षेत्र के भीतर खाने के स्थान निर्धारित करेंगे जहाँ चूहें और अन्य परोपजीवी आकर्षित न हों। इससे बचने के लिए फीडरों को खिलाने के बाद बचे हुए भोजन को साफ करने की सलाह दी जाती है।

VI. नगरीय निकाय में एक पशु चिकित्सक/निकाय का कोई अधिकारी ऐसा होना चाहिये जो एनिमल वेलफेयर लॉ0 की अच्छी जानकारी रखता हो। इनके द्वारा समय-समय पर विभिन्न संस्थाओं, विद्यालयों, थाना स्तर पर आदि स्थलों पर पशु क्रूरता से संबंधित कानूनों के संबंध में जागरूकता फैलाई जाये तथा शिकायत प्राप्त होने पर उसका तत्काल नियमानुसार निस्तारण करवाये।

- **नागरिक कल्याण संस्थाएँ (आर.डब्ल्यू.ए.) और पालतू जीव**:-

I. आर.डब्ल्यू.ए. को किसी भी निवासी को पालतू जीव रखने से प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। किसी भी आरडब्ल्यूए द्वारा पालतू जीवों को रखने पर प्रतिबंध लगाने वाला कोई भी नियम या उपनियम अवैध और निरर्थक है और आरडब्ल्यूए को ऐसे गैरकानूनी उपनियमों को हटाने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए।

II. आर.डब्ल्यू.ए. को सार्वजानिक क्षेत्रों/बगीचों में पालतू जीवों (पट्टे आदि का उपयोग) के उचित नियंत्रण की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन ऐसे क्षेत्रों में पालतू जीवों के आने पर मनमाने ढंग से प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है।

III. आरडब्ल्यूए पालतू जीवों के स्वामियों को उनके पालतू जीवों के लिए लिफ्ट का प्रयोग करने से प्रतिबंधित नहीं करेगी।

IV. कोई भी आर.डब्ल्यू.ए. किसी पालतू जीव के स्वामी को न तो धमकाएगा और न ही उन्हें अपने पालतू जीव के परित्याग के लिए विवश करेगा, क्योंकि ऐसा करना आपराधिक संत्रास/धमकी और अपराध के लिए प्रेरित करना (यानी एक पालतू जीव का परित्याग), दोनों ही दंडनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं।

- **विवाद समाधान/निवारण**:-

I. यदि किसी को निराश्रित श्वानों को खिलाने के संबंध में देखभाल करने वालों/ फीडरों के किसी भी कार्य के संबंध में कोई शिकायत है, तो उन्हें पशु कल्याण समिति के माध्यम से संवाद और चर्चा में शामिल होना चाहिए। यदि इससे समस्या का समाधान नहीं होता है तो आर.डब्ल्यू.ए. शिकायत को डी.एस.पी.सी.ए. (जिला पशु क्रूरता निवारण समिति) के ध्यान में ला सकता है,

जो प्रकरणों का शीघ्र समाधान पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 के नियम, 20 के अनुसार कार्यवाही कर सुनिश्चित करेगा।

II. स्थानीय प्राधिकरण को जनता के लिए नियमित शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए, जिसमें जीवों के साथ व्यवहार करने के तरीके और श्वानों से सामना होने पर क्या करना है (विशेष रूप से ऐसे श्वान जो भय या आक्रामकता के लक्षण दिखाते हैं), इस पर मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

III. जिला पशु क्रूरता निवारण समिति को हर जीव के सम्मान और मर्यादा के साथ जीने के अधिकार के बारे में जागरूकता के प्रसार के लिए कार्यक्रम चलाने चाहिए। यह संदेश विभिन्न समाचार पत्रों, टेलीविजन, रेडियो चैनलों और सोशल मीडिया इत्यादि के माध्यम से प्रसारित किया जाना चाहिए।

IV. आरडब्ल्यूए को पशु कल्याण संगठनों (ए.डब्ल्यू.ओ.) द्वारा सक्रिय विवाद रोकथाम प्रयासों की सुविधा देनी चाहिए और स्ट्रीट डॉग (निराश्रित श्वान) कल्याण के बारे में निवासियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए बैठकें, कार्यशालाएं और सर्वेक्षण आयोजित करने में ए.डब्ल्यू.ओ. का समर्थन करना चाहिए।

V. आर.डब्ल्यू.ए. को ऐसे व्यक्तियों की पहचान और नामांकन करना चाहिए जो पशु कल्याण समिति के भीतर या बाहर से हों तथा जो स्थानीय ए.डब्ल्यू.ओ. के साथ पंजीकृत स्वयं सेवक बन सकते हैं। ऐसे स्वयं सेवकों को A.W.O.द्वारा संचालित क्षमता निर्माण गतिविधियों से सम्बद्ध होकर अपने आस-पास के मनुष्यों और श्वानों के बीच संबंधों की प्रकृति पर समिति तथा A.W.O.के साथ नियमित रूप से संवाद स्थापित करने का प्रयास करते रहना चाहिए।

VI. आर.डब्ल्यू.ए. को पालतू श्वानों और स्ट्रीट डॉग्स (निराश्रित श्वान) से सम्बंधित प्रासंगिक जानकारी के बारे में और नियमों के बारे में-जैसे ए.बी.सी,फीडिंग, वॉटर स्पॉट इत्यादि के बारे में पोस्टर व अन्य शैक्षिक सामग्री लगानी चाहिए जो लोगों को सही निर्णय लेने में तथा विकल्प चयन में सहायता कर सके।

VII. आर.डब्ल्यू.ए .को उचित कचरा निपटान सुनिश्चित करना चाहिए। बंद कूड़ेदानों का उपयोग किया जाना चाहिए और उन्हें संलग्न क्षेत्रों में रखा जाना चाहिए, जहां श्वानों की पहुंच न हो।

अध्याय-6
श्वान पशु प्रजनन एवं विक्रय की रोकथाम तथा विनियम

श्वानों की संख्या में अतिशय वृद्धि को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम (कुत्ते का प्रजनन और विपणन) नियम, 2017 तथा पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम (पालतू जीव की दुकान) नियम, 2018 आदि नियमों को विनियमित किया है। इन नियमों के कुछ महत्वपूर्ण अंश निम्नवत है:-

कोई भी ऐसे प्रतिष्ठान जो श्वानों को प्रजनन या विक्रय के लिए रखते हैं, ऐसे किसी भी प्रतिष्ठान को स्थानीय प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है, जब तक कि उक्त प्रतिष्ठान के पास उत्तर प्रदेश राज्य पशु कल्याण बोर्ड से पंजीकरण का प्रमाण-पत्र न हो। श्वान पशुओं के प्रजनन या विक्रय से सम्बन्धित प्रतिष्ठान समय-समय पर जारी मानक संचालन प्रक्रिया(एस.ओ.पी.) का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होंगे। यह भौतिक और ऑनलाइन साइट्स पर भी लागू होता है।

पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम (कुत्ते का प्रजनन और विपणन) नियम, 2017, नियम 13:-

रजिस्ट्रीकरण के बिना अनुज्ञप्ति नहीं- प्रजनन के लिए प्रजनन करने या रखे जाने वाले श्वानों के लिए प्रयोग किये जाने वाले या किये जाने से आशयित स्थापन को स्थानीय निकाय द्वारा अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं किया जायेगा जब तक कि प्रजनक ने राज्य बोर्ड से इन नियमों के अनुसार रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया हो।

पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम (पालतू जीव की दुकान) नियम, 2018, नियम 14:

रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई अनुज्ञप्ति नहीं- किसी भी पालतू पशु दुकानदार को स्थानीय प्राधिकारी द्वारा तब तक अनुज्ञप्ति नहीं दी जायेगी जब तक पालतू पशु दुकानदार ने इन नियमों के अनुसार राज्य बोर्ड से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त न कर लिया हो।

- ❖ प्रत्येक प्रजनक द्वारा श्वानों के प्रजनन कराने के लिए विक्रय आदि हेतु प्रयुक्त स्थापन को राज्य बोर्ड या बोर्ड द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रखेगा।
- ❖ कोई भी स्थानीय प्राधिकरण या संगठन बोर्ड से परियोजना मान्यता प्रमाण-पत्र के बिना गली के श्वानों के लिए पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम शुरू या संचालित या आयोजित नहीं करेगा।

- ❖ इन नियमों के अतंर्गत परियोजना मान्यता के लिए आवेदन करने वाले किसी भी पशु कल्याण संगठन को बोर्ड द्वारा पहले से ही एक पशु कल्याण संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।
- ❖ यदि कोई स्थानीय प्राधिकरण अपने स्वयं के पशु चिकित्सा अधिकारियों के माध्यम से पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम का संचालन कर रहा है, स्थानीय प्राधिकरण का परियोजना प्रभारी बोर्ड से परियोजना मान्यता प्राप्त करेगा। यदि पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम स्थानीय प्राधिकरण के पशु चिकित्सा अधिकारियों द्वारा निष्पादित किया जाता है तो आवेदन शुल्क में छूट दी जाएगी। अन्य सभी शर्तें और बोर्ड द्वारा प्रकाशित मॉड्यूल लागू होंगे।
- ❖ पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के संचालन के लिए परियोजना मान्यता के लिए आवेदन करने वाले आवेदक को प्रत्येक अलग पशु जन्म नियंत्रण केंद्र के लिए अलग-अलग आवेदन करने की आवश्यकता होगी।
- ❖ निरीक्षण दल को निरीक्षण की तिथि से दस दिनों की अवधि के अन्दर बोर्ड द्वारा निर्धारित निरीक्षण प्रपत्र के अनुसार निरीक्षण दल के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
- ❖ गली के श्वानों के लिए कोई भी पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम तब तक आयोजित नहीं किया जायेगा जब तक कि स्थानीय प्राधिकरण या पशु कल्याण संगठन ने इन नियमों के तहत इस तरह के कार्यक्रम से संचालन के लिए परियोजना मान्यता का प्रमाण-पत्र न प्राप्त कर लिया हो।
- ❖ पालतू पशुओं के मामले में पशु का स्वामी कृमिमुक्तिकरण, प्रतिरक्षण और नसबंदी के लिए उत्तरदायी होगा।
- ❖ गली में रहने वाले पशुओं के विषय में, स्थानीय प्राधिकरण कृमिमुक्तिकरण टीकाकरण और नसबंदी के लिए उत्तरदायी होगा। इन नियमों के अनुसार पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम को चलाने के लिए बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त एक पशु कल्याण संगठन को नियुक्त कर सकता है।
- ❖ विक्रय की दशा:- प्रत्येक प्रजनक यह सुनिश्चित करेगा कि आठ सप्ताह से कम आयु के पिल्ले विक्रय न किये जाए।
- ❖ छ: माह से अधिक आयु के श्वान बिना विसंक्रमित किए नहीं बेचे जाएं, जब तक कि वह अन्य अनुज्ञप्ति धारक प्रजनक को बेचे जाने हैं।
- ❖ प्रजनक क्रेता को पोषण के ब्यौरे, टीकाकरण की तिथि और पिल्लों में विकृमिकरण तथा पशु चिकित्सा व्यवसायी जिसने उसका उपचार किया है, का नाम और पता लिखित में देगा।

- ❖ कोई प्रजनक बिना अनुज्ञप्ति पालक पशु दुकान चलाने वाले को विक्रय नहीं करेगा।
- ❖ प्रजनक उत्पादित और विक्रीत सभी पिल्लों का ध्यान रखेगा तथा प्रजनक का यह दायित्व होगा कि उनकी प्रगति एवं उसके द्वारा बेचे गये सभी श्वानों के स्वास्थ्य की दशा का प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार सूचना प्राप्त करें।
- ❖ प्रत्येक प्रजनक स्थापन(विक्रेता प्रतिष्ठान) में सभी पशुओं जिनमें प्रजनन, विक्रय तथा निरीक्षण के लिए रखे जाने वाले श्वान भी सम्मिलित है, का अभिलेख रखेगा।

उ.प्र. शासन के नगर विकास विभाग द्वारा श्वानों के पंजीकरण संबंधी संशोधित नई आदर्श कार्यवाही प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) जारी कर इसे प्रदेश के सभी नगरीय निकायों पर लागू कर दिया गया है। इसके अनुसार शहरों में श्वान पालने वाले प्रत्येक व्यक्ति को संबंधित नगरीय निकाय को लिखित में एक शपथ-पत्र अनिवार्य रूप से देना अपेक्षित होगा। शपथ-पत्र में यह लिखकर देना होगा कि-

- बाहर ले जाते समय श्वानों को जंजीर से बांध कर रखना होगा।
- प्रतिवर्ष श्वानों का टीकाकरण करवाना होगा।
- श्वानों के लाइसेंस की वैधता एक वर्ष होगी लेकिन यदि इस एक वर्ष की अवधि में श्वानों की एन्टी रैबीज वैक्सीनेशन की वैधता समाप्त हो जाती है तो श्वानों का लाइसेंस निरस्त हो जायेगा।
- पालतू श्वानों के पंजीकरण पर नगरीय निकाय स्वामियों को चिप या टोकन देगा जिसमें श्वानों का नंबर, स्वामी का नाम, पता, संपर्क नंबर होगा।
- श्वान को टहलाने या अन्य दिनचर्या के लिए बाहर ले जाने पर कॉलर के साथ चिप/टोकन लगाना होगा अथवा चिप/टोकन को अपने साथ रखना होगा।
- श्वान द्वारा सार्वजनिक स्थल पर नित्यक्रिया करने पर उसकी सफाई श्वान स्वामी द्वारा करनी/करवानी पड़ेगी।
- भविष्य में श्वान स्वामी द्वारा समस्त ऐसे कदम उठाये जायेंगे, जिससे पड़ोसियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसका शपथ-पत्र भी श्वान स्वामी से लिया जायेगा।

अध्याय-7
श्वानों का चिकित्सीय उपचार

निम्नलिखित टीकों के लिए सभी पालतू श्वानों को पशु चिकित्सक के पास समयानुसार ले जाना चाहिए। प्रत्येक श्वान के लिए टीकाकरण रिकॉर्ड अलग से बनाए रखा जाना चाहिए-

टीका	आवृत्ति
Puppy DP टीका	30 दिन की आयु पर
9-in-1 संयुक्त टीका or 11-in-1 संयुक्त टीका	पहला - 45 दिन की आयु पर दूसरा - 60 दिन की आयु पर
श्वान शिशु के लिए एंटी रेबीज वैक्सीन (एआरवी)।	पहला - 90 दिन की आयु पर दूसरा - पहले टीके के 21 दिन के बाद
एक वर्ष से बड़े श्वान को- एंटी रेबीज वैक्सीन (एआरवी)	प्रत्येक वर्ष
कृमिनाशक गोली देना	1-3 महीने तक: प्रत्येक15 दिन 3-6 महीने तक: प्रत्येक महीने 6 महीने से ऊपर - प्रत्येक3 महीने पर

निम्नलिखित रोग सामान्य रूप से श्वानों में देखे जाते हैं। इसलिए यदि कोई श्वान इनमें से किसी भी लक्षण को प्रदर्शित करता है तो पालतू श्वानस्वामियों को तुरंत पशु चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए-

रोग	लक्षण
कैनाइन परवोवायरस (एक वर्ष से कम उम्र के श्वानों में देखी जाती है)	सुस्ती / नीरसता दुर्गंधयुक्त या खूनी दस्त उल्टी निर्जलीकरण तेजी से वजन कम होना
कैनाइन डिस्टेम्पर	अत्यधिक लार का निकलना कम हुई भूख डायरिया दौरा पड़ना बुखार (कान के पीछे गर्मी,गाढ़ा मूत्र, आंख की श्लेष्मा झिल्ली चमकदार लाल दिखती है)
रेबीज़	हाइड्रोफोबिया- पानी का डर अत्यधिक लार का निकलना अत्यधिक उत्तेजित होना स्मृति हानि- ज्ञात लोगों की पहचान करने में असमर्थता

संक्रामक कैनाइन हेपेटाईटिस (ICH)	भूख में कमी जलोदर- बढ़ा हुआ पेट आँख की श्लेष्मा झिल्ली पीली दिखाई देती है पीला मल
कैनाइन पैराइन्फ्लुएंजा	नाक बहना मंद व्यवहार कम हुई भूख
लेप्टोस्पाइरोसिस	कम हुई भूख पीला मल बुखार (कान के पीछे गर्मी,गाढ़ा मूत्र, आंख की श्लेष्मा झिल्ली चमकदार लाल दिखती है)

आधारभूत न्यूनतम आहार

प्रत्येक श्वान की विशिष्ट आहार आवश्यकताएं अलग-अलग होती हैं और उनकी आयु, आकार, गतिविधि के स्तर आदि स्वास्थ्य कारकों पर आधारित होती हैं। इसलिए प्रत्येक श्वान की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समझने के लिए पशु चिकित्सक से परामर्श लेना आवश्यक होता है। हालांकि एक सामान्य रूप में सभी श्वानों को एक दिन में कम से कम 2 पूर्ण आहार दिया जाना चाहिए, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिजों का संतुलन हो। स्वच्छ जल हर समय उपलब्ध कराया जाना चाहिए। भोजन और पानी के कटोरे को प्रतिदिन साबुन और गर्म पानी से धोना चाहिए।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि श्वानों को चॉकलेट, प्याज, लहसुन, अंगूर और किशमिश कभी नहीं देना चाहिए क्योंकि वह श्वानों के लिए विषयुक्त होते हैं और गंभीर जानलेवा समस्याएं पैदा कर सकते हैं।

अध्याय-8

श्वान पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम

निराश्रित श्वानों में आक्रामकता उत्पन्न करने वाले मुख्य कारक स्थानांतरगमन, प्रजनन (यौन आकांक्षा) तथा मादा श्वान द्वारा पिल्लों (श्वान शिशुओं) की सुरक्षा है। एबीसी कार्यक्रम न केवल निराश्रित श्वानों की संख्या को प्रबंधित करने में सहायता करते हैं, बल्कि मनुष्यों के साथ टकराव की घटनाओं को भी कम करते हैं। श्वानों की नसबंदी से व्यवहार में परिवर्तन आता है जो काटने और रोगों के फैलने के जोखिम को सीमित करता है। यह नर श्वान में अनावश्यक घूमने और आक्रामक व्यवहार को भी कम करता है।

- 2009 के S.L.P.(C) 691 में मा. सर्वोच्च न्यायालय ने सभी स्थानीय अधिकारियों को निर्धारित तरीके से एबीसी कार्यक्रम आयोजित करने का आदेश दिया था और कहा था कि निराश्रित श्वानों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए किसी अन्य तरीके का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं को अनिवार्य किया गया है:-

आधारभूत ढाँचा/ए.बी.सी. परिसर:-

ए.बी.सी. नियम, 2023 और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार स्थानीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि एबीसी कार्यक्रम को सफलतापूर्वक चलाने के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचा की स्थापना अपेक्षित है। ए.बी.सी. केन्द्र के निर्माण हेतु आधारभूत ढांचे की आवश्यकता इस प्रकार है:-

- स्थानीय निकाय क्षेत्र में स्ट्रीट डॉग्स (निराश्रित श्वानों) की अनुमानित संख्या स्थानीय निकाय क्षेत्र के भीतर कुल जनसंख्या का लगभग 3% माना जाता है।
- किसी निर्धारित स्थान के श्वानों की कुल संख्या को 2 से विभाजित किया जा सकता है ताकि प्रत्येक वर्ष स्टेरिलाइज्ड/न्युटर्ड किए जाने वाले श्वानों की संख्या का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके और लक्ष्य को दो वर्षों में प्राप्त करने की योजना का क्रियान्वयन हो सके।
- प्रत्येक वर्ष ऑपरेशन/न्युटर्ड किए जाने वाले श्वानों की कुल संख्या को एक वर्ष में 300 कार्य दिवस के अनुसार 300 से विभाजित किया जा सकता है। परिणाम संख्या प्रति दिन सर्जरी होने वाले श्वानों की संख्या है।
- ऑपरेशन के बाद प्रत्येक श्वान को तीन दिनों तक देखभाल के लिए रखा जाएगा और शल्य क्रिया के एक दिन पहले एबीसी परिसर में लाया जाएगा। इसलिए एबीसी परिसर में श्वानों की संख्या प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन सर्जरी किए जाने वाले श्वानों की संख्या को 4 से गुणा किया जाना चाहिए, जिससे श्वान आवास/केनेल के निर्माण की आवश्यकता का पता चल सके।

- इसके अतिरिक्त संदिग्ध रेबीज ग्रसित श्वानों के लिए आइसोलेशन केनेल और क्वारंटाइन केनेल भी होने चाहिए।
- केनेल विभिन्न आकारों में प्रदान किए जा सकते हैं। अधिकांश केनेल 10 से 12 श्वानों के लिए और कुछ केनेल एकल श्वानों के लिए निर्मित होने चाहिए। प्रत्येक श्वान के पास केनेल में 3X4 फीट की जगह होनी चाहिए।
- ए.बी.सी. कैंपस में पर्याप्त वेंटिलेशन, तापमान नियंत्रण, प्रकाश व्यवस्था और जल स्रोत इत्यादि आवश्यक है।
- केनेल के डिजाइन में चिकनी गैर-छिद्रपूर्ण फर्श, उचित जल निकासी के लिए ढलान वाले फर्श के साथ सफाई, स्वच्छता और रोग नियंत्रण की सुविधा प्रदान करनी चाहिए।
- रसोई के बर्तनों व श्वानों के कटोरे की सफाई और श्वानों के भोजन की तैयारी के स्थान को धोने के लिए केनेल के पास ही रसोई और धुलाई का क्षेत्र होना चाहिए।
- रसोई और स्नानघर की सुविधाओं सहित 24 घंटे कार्यरत केनेल कर्मचारियों के लिए एक कर्मचारी आवास की सुविधा होनी चाहिए।
- ए.बी.सी. परिसर के लिए आवंटित भूमि केनेल, भवन और पार्किंग के लिए उपयुक्त आवश्यकता वाले क्षेत्र के अनुरूप होनी चाहिए। इसमें केनेल के अतिरिक्त अन्य सुविधाओं जैसे-ऑपरेशन थियेटर, पोस्ट-ऑपरेटिव रिकवरी रूम, प्री-ऑपरेटिव प्रिपरेशन रूम, वाहन सफाई क्षेत्र के साथ पार्किंग, स्टाफ क्वार्टर आदि की उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए। कृपया अनुलग्नक-ए में दिए गए ए.बी.सी. परिसर के लिए सुझाव के रूप में नमूना डिजाइन देखें।

ए.बी.सी.-ए.आर.वी. परियोजना तैयार करने के लिए आधारभूत अनुमान निम्नानुसार बनाए जा सकते हैं:

(अ) 1.00 लाख मानव संख्या वाले शहर के लिए आधारभूत आंकड़े

निराश्रित श्वानों की संख्या	लगभग 3,000
बफर एरिया निराश्रित श्वानों की संख्या	लगभग 750(लगभग 25%)
कुल जनसंख्या	लगभग 3,750
अगले दो वर्षों में 20% वृद्धि का अनुमान	लगभग 750
अगले दो वर्ष का टारगेट (जनसंख्या का 70%)	लगभग 3,150
वार्षिक ए.बी.सी. के लिए लक्ष्य	लगभग 1,600
मासिक ए.बी.सी. के लिए लक्ष्य	लगभग 160

	(10 महीने, अत्यधिक गर्म सर्द वाले महीनों को छोड़कर)
दैनिक ए.बी.सी. के लिए लक्ष्य	लगभग 6-7 (एक महीने में औसतन 24 कार्य दिवस)

(ब). 1.00 लाख जनसंख्या वाले शहर के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचा और सामग्री

डॉग केनेल आवास क्षमता	28 + 6 28 श्वानों के लिए सामुदायिक केनेल (केनेल में प्रत्येक श्वान को 4 दिनों के लिए रखा गया + रेबीज के संदिग्ध प्रकरणों के लिए 6 आइसोलेशन सेल)
डॉक्टर का कमरा	कम से कम 1
दवाई स्टोर रूम	कम से कम 1
सर्जरी के पहले की तैयारी का कमरा	कम से कम 1
सर्जरी से रिकवरी के लिए कमरा	कम से कम 1
ऑटोक्लेव कमरा	कम से कम 1
ऑफिस के लिए कमरा	कम से कम 1
रसोई	कम से कम 1
खान-पान के लिए स्टोर कमरा	कम से कम 1
कर्मचारी कमरा	कम से कम 2
शल्य क्रिया, वस्त्र धुलाई के लिए कमरा	कम से कम 1
बिजली के उपकरण	आवश्यकतानुसार
पानी की उपलब्धता	आवश्यकतानुसार
दुहरी परिक्रमा दीवार	आवश्यकतानुसार
ओ० टी० टेबल	कम से कम 1 हर चिकित्सक के लिए
ओ० टी० का नाप	कम से कम 150 Sq. Ft./ ओ टी टेबल / चिकित्सक (आवश्यकतानुसार)
ऑटोक्लेव	कम से कम 1

ऑटोक्लेव ड्रम	कम से कम 2
फ्रिज	कम से कम 1 - 165 लीटर
वैक्सीन का डिब्बा	कम से कम 1
प्रिपरेटरी स्टेनलेस स्टील टेबल्स	कम से कम 2
पावर बैकअप के साथ इन्वर्टर	कम से कम 1- 2 KVA
ओ०टी० लाइट्स स्टैंड सेट	कम से कम 1
एनेस्थीसिया एप्प	कम से कम 1
बर्तन इत्यादि	आवश्यकतानुसार
ओ० टी० की चप्पलें	कम से कम 04 जोड़ी
भार मापने की मशीन	कम से कम 1
अलमारी इत्यादि	कम से कम 5 ताकि दवाएं, शल्य चिकित्सा उपकरण, डाक्यूमेंट आदि
कंप्यूटर प्रिंटर इत्यादि	कम से कम 1
ऑफिस फर्नीचर	आवश्यकतानुसार
गैस चूल्हा इत्यादि	कम से कम 1
खाने और पानी रखने के बर्तन	कम से कम 50
रबर के पैड / लकड़ी के पैड (केनल के अन्दर)	कम से कम 50
बिना शोर वाला जनरेटर/सोलर सिस्टम	कम से कम 1 या आवश्यकतानुसार
पानी की टंकी / पंप	कम से कम 1
भिन्न रंगों के डस्टबिन	03 (केंद्र की आवश्यकतानुसार)
केंद्र का मेडिकल वेस्ट सिस्टम	केंद्र की आवश्यकतानुसार
श्वानों को पकड़ने छोड़ने की गाडी	कम से कम 1
सी०सी०टी०वी०	आवश्यकतानुसार

(स).परिसर कक्ष/क्षेत्र आकार के हेतु दिशानिर्देश

कमरे / आवश्यकता	न्यूनतम आकार
ऑपरेशन थियेटर/ शल्य क्रिया(सर्जरी) कक्ष	20ft x 20ft
तैयारी कक्ष	15ft x 15ft
उपकरण की सफाई / ऑटोक्लेव कक्ष	12ft x 12ft
भंडारण कक्ष	25ft x 25ft
रसोई-घर	15ft x 15ft
कर्मचारी (स्टाफ) कक्ष	20ft x 15ft
ऑफिस रूम	15ft x 15ft
पोस्ट-ऑपरेटिव केनेल	एकल केनल: 3ft x 4ft बहुधा केनल: 10ft x 12ft
डॉग लोडिंग/व्हीकल पार्किंग एरिया (फेंस्ड)	30ft x 30ft

एबीसी परिसर के लिए वाहन:

- वाहन और उपकरण स्थानीय निकाय द्वारा ही क्रय किये जाएँ।
- मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स की आवश्यकता होती है जिन्हें श्वानों को सुरक्षित परिवहन के लिए पिंजरों के साथ संयोजित किया जाता है।

नीचे दिए गए वाहन श्वानों को पकड़ने के लिए उपयुक्त हैं। इसी तरह के और भी कई वाहन हैं जिनका प्रयोग किया जा सकता है:-

क्र.	वाहन का नाम और प्रकार	केबिन (सिंगल/ डबल)	क्षमता	आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित किया जा सकता है *हां/नहीं	रखरखाव और नियमित देखभाल निम्न/मध्यम/उच्च	वाहन सहित जा सकने वाले व्यक्तियों की संख्या
1	बोलेरो मैक्स	**सिंगल**	20-22	हाँ	निम्न	3-4
2	बोलेरो मैक्स	**डबल**	10-12	हाँ	निम्न	5
3	1200 CC के ऊपर के पिकप	**सिंगल**	14-16	हाँ	माध्यम	3
5	इसुजु डी- मैक्स	**सिंगल**	20 -22	हाँ	उच्च	3-4
6	इसुजु डी- मैक्स	**डबल**	10 – 12	हाँ	उच्च	5

Image 4 - left side of the vehicle, with net in the holding hooks.

Image 3 - Back side of the vehicle with three doors 1. left door 2. Right door 3. Sling door

Image 2 - Front side of the vehicle, with wind spoiler over the cabin roof.

Image 1 - Right side of the vehicle, ventilation grills and catching net holding hooks.

Image 6 - Open right door

Image 7 - Back door fully open and both doors can be open to 180 degree (as you can see the left door in the image) and get perpendicular to the body. where mark in red box you can see the hinge, door separator and in the red round circle is a seat for the handler.

Image 8 - this image you can see 1. is Hinge door which should open inside only and can be locked from outside 2. is the wall under the ventilation windows/ grills, is of steel alloy and it's welded with smooth edges.

Image 9 - two things can be noticed in this image 1. Black industrial rubber mate (we recommend 10mm thickness) 2. Steel alloy flooring

Recommended measurements for the reference

Image 11 - Ventilation window/ grills should not have more than 2 inches of gap, should not make the mash structure, only use the rectangular thick pipes (these all aspect is kept in mind, by considering the behavior of the dogs)

Image 10 - The size of the sling door for loading the dogs should be minimum of 29 inch of width and please check the outside lock in the above picture for the reference.

Minimum height for the sling door should be 25 inches.

Image 14 - Height of door is 50 inches (please take it as a reference for the height of whole body too)

Image 13 - External to external edge measurement is 12 inches for making hooks for net.

Image 15 - Reference for height of hooks and placement from the roof.

Image 18 - Foldable seat for the dog handler on the left wall of the cabin.

Right side look of the complete vehicle (in-field)

Over all look of the vehicle from left side (in-field)

- **निर्माण सामग्री**:
    - पिछले केबिन के बाहरी संरचनात्मक निर्माण के लिए मोटे लोहे के मिश्र धातु का उपयोग किया जाना चाहिए।
    - खिड़की के पैनल के नीचे का फर्श और दीवार केवल स्टील मिश्र धातु से निर्मित होनी चाहिए और इसमें कोई नुकीला किनारा नहीं होना चाहिए।
    - ठंड और गर्म मौसम से सुरक्षा के लिए छत को अंदर से इन्सुलेशन सामग्री से ढकना चाहिए।
    - वाहन अच्छी तरह हवादार होना चाहिए।
    - पेंट जॉब के लिए पेंटिंग से पहले दो बार प्राइमर का एक कोट प्रयोग किया जाना चाहिए और यह अपेक्षा की जाती है कि दिखाई न देने वाले हिस्सों सहित पूरे बॉडी को खरोंच प्रतिरोधी पेंट से पेंट किया जाना चाहिए।
    - फर्श पर उच्च श्रेणी के औद्योगिक रबर की चटाई का उपयोग किया जाना चाहिए। यह फिसलन रहित होना चाहिए, ताकि जब वाहन चल रहा हो तो खड़े या बैठने वाले श्वानों के लिए पकड़ प्रदान करता हो । शीट के लिए अनुशंसित मोटाई 10 मि०मी० (लगभग 0.39 इंच) है।
    - कब्जे, दरवाजे, बैठने की व्यवस्था को अलग करना और अन्य आवश्यक भाग जो श्वानों की सुरक्षा और परिवहन के लिए आवश्यक रूप से महत्वपूर्ण हैं, उसे उच्च गुणवत्ता और बिना समझौते वाले डिजाइन के होने चाहिए।

बोलेरो मैक्ससिंगल (20-22 dogs)

1200 CC के ऊपर के पिकपसिंगल (14-16)

इसुजु डी- मैक्सडबल (10-12 dogs)

एबीसी परिसर निर्माण की आवश्यकताएं :

प्रतिदिन श्वान की शल्य क्रिया	20-25	40-45	60-65	80-85	100-110	120-130	विवरण
आवश्यक क्षमता	120	210	300	380	500	580	4 दिनों के लिए संगरोध, पोस्ट ऑपरेशन और टीवीटी प्रकरण के लिए श्वान को पकड़ते हैं।
सामुदायिक केनेल की संख्या	10	20	30	35	44	52	स्वस्थ श्वानों को रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम संख्या।
सामुदायिक केनेल आकार(ft)	12L*12W	12L*12W	12L*12W	12L*12W	12L*12W	12L*12W	10 श्वान को रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम आकार।
सामुदायिक केनेल के गेट का आकार (ft)	7L*3.5W	7L* 3.5W	7L*3.5W	7L* 3.5W	7L* 3.5W	7L * 3.5W	केनेल को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से खोलना चाहिए। पूरा केनेल लोहे की छड़ से इस प्रकार निर्मित किया गया है कि कोई श्वान उस पर लटक न सके।
एकल केनेल की संख्या	20	30	40	60	60	60	संगरोध के लिए रेबीज संदिग्ध श्वान उपचार के लिए ऑपरेशन के बाद
एकल केनेल आकार(फीट)	5.5L* 4W	5.5L * 4W	5.5L* 4W	5.5L * 4W	5.5L* 4W	5.5L* 4W	श्वान को प्रति केनेल रखने के

							लिए आवश्यक न्यूनतम आकार
एकल केनेल गेट	7L*3.5W	7L * 3.5W	7L*3.5W	7L *3.5W	7L*3.5W	7L * 3.5W	गेट अंदर की ओर खुलना चाहिए और डिजाइन सामुदायिक केनेल के जैसी होनी चाहिए।
ऑपरेशन थियेटर की संख्या	1	1	1	1	1	1	समय पर अधिक संख्या में शल्य क्रिया करने के लिए।
ऑपरेशन थियेटर का आकार	20L*18W	26L * 21W	32L*27W	40L* 35W	45L*40W	45L * 40W	ऑपरेशन थियेटर में उपयोग किये जाने वाले उपकरणों का मुक्त परिचालन
ऑपरेशन थियेटर के गेट गेट का आकार और श्वान की ओर तैयारी कक्ष	7L * 5W	7L * 5W	7L * 5W	7L * 5W	7L * 5W	7L * 5W	दरवाजा दोनों ओर से खुला होना चाहिए(अंदर और बाहर)।दरवाजे के ऊपरी हिस्से पर दर्पण लगा होना चाहिए।
कार्यालय क्षेत्र की ओर ऑपरेशन गेट का आकार(Ft)	7L * 4W	7L * 4W	7L * 4W	7L * 4W	7L * 4W	7L * 4W	ऊपरी आधे क्षेत्र पर शीशे के साथ स्लाडिंग बड़ा दरवाजा।
सर्जन तैयारी कक्ष	1	1	1	1	1	1	कपड़े बदलने हाथ धोने और सर्जरी की तैयारी के लिए।

सर्जन तैयारी कक्ष का आकार(Ft)	15L*10W	15L * 10W	20L*15W	20L* 15W			गेट सामान्य ओ.टी. से जुड़ा हुआ है। ओ.टी. और श्वान के तैयारी क्षेत्र के बीच दो तरफा दरवाजा।
श्वान तैयारी कक्ष	1	1	1	1	1	1	श्वान को सर्जरी के लिए तैयार करना।
श्वान तैयारी कक्ष आकार(Ft)	15L*12W	18L * 15W	20L*18W	20L* 18W	25L*22W	25L * 22W	आकार चलने वाली तैयारी तालिकाओं की संख्या पर निर्भर करता है।
श्वान केनेल की ओर तैयारी गेट(Ft)	7L * 6W	7L * 6W	7L * 6W	7L * 6W	7L * 6W	7L * 6W	आसानी आवाजाही के लिए चौड़े काज वाले दरवाजे।
लोडिंग और अनलोडिग के लिए होल्डिंग एरिया	1	1	1	2	2	2	पूरी तरह से बाड़ वाला क्षेत्र जिसमें पूरा वाहन प्रवेश कर सकता हो जिससे श्वान को भागने का कोई मौका न मिल सके। बाड़ और गेट की ऊँचाई कम से कम 10 फीट होनी चाहिए।
लोडिंग और अनलोडिग के लिए होल्डिंग एरियाका आकार(FT)	55L*20W	55L * 20W	55L*20W	55L* 20W	55L*20W	55L* 20W	एक साथ दो वाहन के लिए न्यूनतम जगह।

डेक के साथ धुलाई क्षेत्र	1	1	2	2	3	3	वाहनों की सफाई एवं सुखाने के लिए।
डेक के साथ धुलाई क्षेत्रका आकार(Ft)	15L*15W	15L * 15W	30L*30W	30L* 30W	30L*30W	30L * 30W	एक समय पर दो वाहनों को स्थापित करना।
श्वान के भोजन के लिए रसोई	1	1	1	1	1	1	श्वान के लिए भोजन तैयार करना और उसका भंडारण करना।
श्वान के भोजन के लिए रसोई(Ft)	15L*12W	18L * 15W	18L*15W	18L* 15W	18L*15W	18L* 15W	तैयार करने और भंडारण के लिए न्यूनतम आवश्यकता।
दवाओं इत्यादि के लिए स्टोररूम	1	1	1	1	1	1	कुशलतम उपयोग के लिए दवाओं को क्रमबद्ध करना।
मेड और अन्य के लिए स्टोररूम (Ft)	15L*12W	18L * 15W	18L*15W	25L* 20W	25L*20W	30L* 25W	आवश्यकता अनुसार न्यूनतम क्षेत्र।
स्टाफ के लिए कमरा	5	7	10	13	17	20	पूरे दिन श्वानों की देखभाल करने के लिए कर्मचारियों को परिसर में सुविधा।
प्रत्येक कमरे की क्षमता	2	2	2	2	2	2	प्रति कमरा कर्मचारियों की अधिकतम संख्या।
स्टाफ रूम का	13L*13W	13L *	13L*13W	13L*	13L*13W	13L *	छात्रावास के कमरों के मानकों

आकार(Ft)		13W		13W		13W	के अनुसार।
स्टाफ रूम के रसोई का आकार(Ft)	7L * 7W	7L * 7W	7L * 7W	7L * 7W	7L * 7W	7L * 7W	मानक अनुसार।
स्टाफ रूम के शौचालय का आकार(Ft)	7L * 6W	7L * 6W	7L * 6W	7L * 6W	7L * 6W	7L * 6W	मानक अनुसार।
कार्यालय कक्ष	2	2	2	3	4	4	प्रबंधक, पशु चिकित्सक और सामुदायिक कर्मचारियों का समायोजन।
कार्यालय कक्ष का आकार(Ft)	15L*15W	20L * 20W	20L*20W	25L* 20W	25L*20W	25L * 20W	टीम के आकार के अनुसार।
कान्फ्रेंस हॉल	1	1	1	1	1	1	अधिकतर बैठक एवं प्रशिक्षण उद्देश्य के लिए आवश्यक।
कान्फ्रेंस हॉल का आकार (Ft)	30L*30W	30L * 30W	40L*40W	40L* 40W	50L*50W	50L * 50W	टीम के आकार एवं प्रशिक्षुओं के अनुसार समायोजन हेतु।
कार्यालय शौचालय (पुरूष एवं महिला)	2	2	2	4	4	4	सदस्यों की संख्या के अनुसार।
कार्यालय शौचालय आकार	मानक	मानक	मानक	मानक	मानक	मानक	सामान्य उपयोग के लिए शौचालय।
पशु चिकित्सा सर्जन का	1	1	2	3	4	4	आपातकालीन ड्यूटी और देर समय तक ड्यूटी।

आवास							
पशु चिकित्सा सर्जन के आवास का आकार	मानक 2 Bhk	मानक 2 Bhk	मानक 2 Bhk	मानक 2 Bhk	मानक 2 Bhk	मानक 2 Bhk	यह एक आवासीय फ्लैट की तरह निर्मित होना चाहिए।
बाउंड्री वाल की ऊंचाई	7 ft	7 ft	7 ft	7 ft	7 ft	7 ft	यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई श्वान बाहर न जा सके।
बाउंड्री वाल के उपर अवरोधक (फेंसिग)	3 ft	3 ft	3 ft	3 ft	3 ft	3 ft	श्वान के न भागने तथा बन्दरों को भी दूर रखने के लिए।
मुख्य द्वार	1	1	1	1	2	2	बड़े वाहनों के लिए आसानी से प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए।
मुख्य द्वार का आकार(Ft)	10L*10W	10L* 10W	10L*10W	10L* 10W	10L*10W	10L* 10W	पकड़ने या वितरण वाहनों के लिए न्यूनतम आकार।
उच्च दबाव जल आपूर्ति इकाई	1	1	1	1	2	2	एक भूजल सबमर्सिबल प्रणाली।

एबीसी सेंटर लखनऊ नगर निगम

उपकरण की आवश्यकताएँ

प्रति दिन श्वानों की सर्जरी	20-25	40-45	60-65	80-85	100-110	120-130	विवरण
पकड़ने वाला वाहन(बृहद्)	1	2	2	4	5	6	डी मैक्स (इसुजु) /बोलेरो मैक्स (महिंद्रा)
पकड़ने वाला वाहन(छोटा)	1	1	2	2	2	2	एक्को (मारूति) या उपयुक्त शहरी लोडर।
ओटी टेबल	3	4	6	8	10	12	विशेष रूप से केवल श्वानों के लिए डिजाइन किया गया है।
ओटी लाईट	3	4	6	8	10	12	एलईडी डबल डोम रूफ माउंटेड
एयर कंडीशनर	2	3	4	5	6	7	2 टन और प्रत्येक मौसम में आवश्यक।
तैयारी तालिका	1	2	2	4	4	4	स्टेनलेस स्टील टेबल।
दागना मशीन	4	5	7	9	11	13	ऑपरेशन कक्ष टेबल के लिए एक कटर और कॉटराजर दोनों के साथ और कान की खुजली के लिए तैयारी टेबल।
फ्रिज	2	2	2	3	4	4	180 लीटर न्यूनतम।
सी.सी.टी.वी. (सम्पूर्ण इकाई)	1	1	1	1	1	1	स्थानीय निकाय की आवश्यकताओं के अनुसार
नर्स ट्रॉली	2	2	3	4	6	6	स्टेनलेस स्टील
डबल ड्रम-ऑटोक्लेव	2	2	2	3	4	4	हटाने योग्य हीटिंग छड़ के साथ।
ऑटोक्लेव-ड्रम	6	10	14	18	22	26	स्टेनलेस स्टील
वाशिंग मशीन	1	1	1	2	2	2	ड्रायर के साथ औद्योगिक ग्रेड(10kg से उपर)।

विविध तालिका	4	6	8	10	12	14	फोल्ड करने योग्य पैरों के साथ चित्रित लोहे की टेबल
प्रेशर वाशर	1	1	2	2	3	3	बॉश केनेल और वाहन की सफाई के उपयोग के लिए पोर्टेबल इलेक्ट्रिक प्रेशर वाशर।
लोहे की रैक	5	7	9	11	13	15	मेड और अन्य उपकरणों के भंडारण के लिए।
अलमारी (Almirah)	2	2	2	3	4	4	मेड और अन्य उपकरणों के भंडारण एवं सुरक्षा के लिए।
बंद ग्लास रैक	1	1	2	2	4	4	प्रलेखन और भंडारण के लिए रिकार्ड रखना।
घूमने वाली कुर्सियाँ	4	6	8	8	9	10	प्रबंधक/पशु चिकित्सक और अन्य विभागीय प्रमुखों के लिए।
कार्यालय की कुसियाँ	8	12	16	16	18	20	कार्यालय और सम्मेलन कक्ष के लिए
टेबल (कार्यालय प्रयोगार्थ)	4	6	8	8	9	10	कार्यालय उपयोगार्थ
प्लास्टिक कुर्सियाँ	15	20	25	35	45	55	कर्मचारियों एवं मीटिंग हेतु
सर्जरी स्टूल	3	4	6	8	10	12	सर्जन के लिए
विद्युत जनरेटर (सुविधा आवश्यकतानुसार)	1	1	1	1	1	1	25 श्वानों की सुविधा के लिए न्यूनतम 7.5 किलोवॉट/क्षमता और भार के अनुसार बढ़ाया जाना चाहिए।
इन्वर्टर (सुविधा आवश्यकतानुसार)	1	1	1	1	1	1	25 श्वानों की सुविधा के लिए सिंगल बैटरी की आवश्यकता।
पुरूष सर्जिकल सेट	25	45	65	85	110	130	सभी उपकरणों को शामिल करते हुए 4 अतिरिक्त ड्रेप

							और 2 अतिरिक्त कपड़ा प्रति सेट।
महिला सर्जिकल सेट	25	45	65	85	110	130	सभी उपकरणों को शामिल करते हुए 4 अतिरिक्त ड्रेप और 2 अतिरिक्त कपड़ा प्रति सेट।
गर्म पानी का गीजर	2	2	3	3	4	4	ऑपरेशन कक्ष, उपकरण और सफाई के लिए 25 ली0 न्यूनतम।
पिंजरे/जाल	5	10	15	20	25	30	श्वानों को पकड़ने, आइसोलेशन और मूवमेंट के लिए
हीटर लैम्प	5	5	5	10	15	20	कार्यालय और रूग्ण श्वान के लिए 2000 वाट
हीट ब्लोअर	14	23	34	41	50	58	प्रत्येक केनेल के लिए 2000 वाट।
कमर्शियल गैस सिलिण्डर	2	2	2	4	4	4	श्वानों का खाना पकाने के लिए
गैस स्टोव	1	1	1	2	2	2	श्वानों का खाना पकाने के लिए
खाना पकाने के बर्तन	2	2	2	4	4	4	श्वानों का खाना पकाने के लिए
श्वान के कटोरे	150	250	350	450	550	650	पानी और भोजन के लिए
कम्प्यूटर	1	1	1	2	2	2	डाटा रिकॉडिंग के लिए
प्रिन्टर	1	1	1	2	2	2	फॉर्म और अन्य दस्तावेजों के लिए
तौलने का पैमाना/मशीन	2	2	2	4	4	4	शल्य चिकित्सा के लिए श्वान का वजन मापन।

आधारभूत सुविधाएँ डॉग स्टरलाइजेशन के लिए

(अ) मानव संसाधन:

स्थानीय प्राधिकरण अपने स्वयं के पशु चिकित्सा विभाग के माध्यम से ए.बी.सी. कार्यक्रम आयोजित कर सकता हैया ए.बी.सी. के लिए ए.डब्ल्यू.बी.आई. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पशु कल्याण संगठन को अपने क्षेत्र में एबीसी नियंत्रण कार्यक्रम संचालित करने के लिए संलग्न कर सकता है। पशु कल्याण संगठन को कम से कम 5000 ए.बी.सी. सर्जरी के पूर्व अनुभव के साथ भारतीय पशु चिकित्सा परिषद/राज्य पशु चिकित्सा परिषद में पंजीकृत कम से कम एक प्रशिक्षित पशु चिकित्सक को पदस्थापित करना होगा। प्रत्येक ए.बी.सी. केंद्र के लिए ए.डब्ल्यू.बी.आई. से परियोजना मान्यता का प्रमाण-पत्र आवश्यक है, चाहे वह पशु कल्याण संगठन द्वारा चलाया जा रहा हो या स्थानीय प्राधिकरण के पशु चिकित्सा विभाग द्वारा।

(ब) निगरानी एवं मूल्यांकन:

i. ए.बी.सी. की प्रगति को समझने के लिए और उसका मूल्यांकन करने के लिए निगरानी अति महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रांतीय श्वान पशु जन्म नियंत्रण अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन समिति का गठनदिनांक 29-06-2017 को प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों (S.L.P.(C) 691) के अनुकूल किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 के आलोक में स्थानीय निकाय के स्तर पर एक ए.बी.सी. सेंटर अनुश्रवण समिति का गठन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है।
ii. राज्य अनुश्रवण और कार्यान्वयन समिति स्थानीय एबीसी समितियों की स्थापना करेगा। एबीसी के लिए व्यापक जनपद-वार योजनाएँ विकसित करने के साथ ही उपयुक्त ए.बी.सी. कार्यान्वयन एजेंसियों को सूचीबद्ध कर आवश्यकतानुसार ए.बी.सी. के लिए मोबाइल इकाइयों की स्थापना किया जाना अपेक्षित है। इसमें मुख्य रूप से आवश्यक आधारभूत ढाँचा, पूंजीगत लागत, मानव संसाधन लागत की प्रतिपूर्ति समय पर ए.बी.सी. कार्यान्वयन एजेंसी को स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा सुनिश्चत किया जाए।

iii. राज्य अनुश्रवण और कार्यान्वयन समिति स्थानीय एबीसी समितियों की स्थापना करेगा। एबीसी के लिए व्यापक जनपद-वार योजनाएँ विकसित करने के साथ ही उपयुक्त ए.बी.सी. कार्यान्वयन एजेंसियों को सूचीबद्ध कर आवश्यकतानुसार ए.बी.सी. के लिए मोबाइल इकाइयों की स्थापना किया जाना अपेक्षित है। इसमें मुख्य रूप से आवश्यक बुनियादी ढाँचा, पूंजीगत लागत, मानव संसाधन लागत की प्रतिपूर्ति समय पर ए.बी.सी. कार्यान्वयन एजेंसी को स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा सुनिश्चत किया जाए।

iv. नगर निकाय की ए.बी.सी. अनुश्रवण समिति श्वान नियंत्रण कार्यक्रमों की योजना और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगी। इसके लिए वह ए.बी.सी. कार्यक्रम के विभिन्न चरणों के लिए निर्देश जारी करने के साथ सार्वजनिक जागरूकता पैदा करना, श्वान के काटने की निगरानी करना और केस-टू-केस के आधार पर कष्ट मुक्त मृत्यु को अधिकृत किया जाना अनिवार्य है।ए.बी.सी. अनुश्रवण समिति अपनी क्षेत्रीय सीमा में श्वानों की संख्या के लिए गणना करने के साथ क्षेत्रवार ए.बी.सी. के संचालन के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचे का विकास चरणबद्ध तरीके से सुनिश्चित कर सकते हैं जिससे कि लक्षित क्षेत्र में कम से कम 70% श्वानों की नसबंदी की जाये और उन्हें रेबीज रोधक टीका लगाया जाये।

v. ए.बी.सी. मॉनिटरिंग कमेटी को तिमाही आधार पर प्रत्येक ए.बी.सी. कार्यान्वयन एजेंसी के वेटरनरी सर्जन की सर्जरी की भी समीक्षा करनी चाहिए। सर्जिकल परिप्रेक्ष्य से ए.बी.सी. कार्यक्रम की सफलता की निगरानी करने का एक शानदार तरीका प्रत्येक सर्जन के लिए अलग-अलग नर और मादा श्वानों की स्वस्थ होने तक के समय की गणना करना होगा।

vi. ए.बी.सी. कार्यक्रम की प्रगति और सफलता का आकलन करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में जहां ए.बी.सी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, राज्य पशु कल्याण बोर्ड/भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा वार्षिक निरपेक्ष मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

(स) मानक संचालन प्रक्रिया:-

i. पकड़ना:

- निराश्रित श्वानों को पकड़ने के लिए प्रयोग में लाये जाने वाली विधि मानवीय होनी चाहिए और कम से कम आक्रामक विकल्प उपलब्ध होना चाहिए। पकड़ने के लिए स्वीकार्य तरीके हैं (1) हाथ से, (2) बोरी और लूप विधि, (3) तितली जाल और (4) बाली पोल-नेट।
- निराश्रित श्वानों को पकड़ने या रोकने के लिए चिमटे, तार और जंजीरों का उपयोग कठोरता से प्रतिबन्धित है, क्योंकि इनसे श्वानों को चोट लगती है और अत्यधिक कष्ट होता है। क्रूरता और क्रूर व्यवहार कानून के तहत अपराध है।
- पकड़ने वालों को A.W.B.I.से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण एजेंसी द्वारा कम से कम एक महीने का पूर्व प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- नसबंदी के लिए 6 महीने और उससे अधिक आयु के निराश्रित श्वानों को पकड़ा जा सकता है। वृद्ध निराश्रित श्वानों और स्पष्ट रूप से गर्भवती श्वानों को नहीं पकड़ा जाना चाहिए। स्तनपान कराने वाली मादाओं को भी नहीं

पकड़ा जाना चाहिए, क्योंकि अगर मां को नसबंदी के लिए हटा दिया जाता है, तो दूध पीने वाले नवजात पिल्लों को भूखा रहना पड़ेगा।

- संभावित संक्रामक रोगों के ग्रसित निराश्रित श्वानों को स्वस्थ श्वानों के साथ नहीं पकड़ा जाना चाहिए। श्वानों का उपचार किसी निश्चित स्थान, ए.बी.सी. केंद्र/पशु चिकित्सा अस्पताल में उपचार के लिए ले जाना चाहिए।

ii. टैगिंग:

- **क्रमांकित टैगिंग:** प्रत्येक निराश्रित श्वान को पकड़ने के समय एक विशिष्ट संख्या पहचान टैग दिया जाता है, जो निराश्रित श्वान को पकड़ने के उपयुक्त स्थान के साथ एक लॉग बुक में दर्ज किया जाता है।
- **लिखित विवरण:** पकड़े गए प्रत्येक पशु के लिए अलग-अलग रिकॉर्ड शीट, उसके टैग नंबर, कोट रंग और प्रकार, लिंग और अनुमानित आयु के साथ उस उपयुक्त स्थान के साथ रिकॉर्ड किया जाता है जहां निराश्रित श्वान को पकड़ा गया था।
- नसबंदी सर्जरी के तुरंत बादश्वान की स्थायी पहचान यानी कान-टैगिंग (दाहिने कान की सीमा पर एक स्पष्ट 'V' आकार का निशान बनाकर) किया जाना चाहिए। 'V' का आकार छोटा होना चाहिए जिससे दूर से श्वान की नसबंदी स्थिति की पहचान का अवलोकन आसानी से किया जा सके।

iii. अलगाव और संगरोध(क्वारंटाइन):

- एक क्षेत्र के निराश्रित श्वानों को दूसरे क्षेत्र के श्वानों के साथ नहीं मिलाना चाहिए। यह आक्रामक व्यवहार और झगड़े से बचने के लिए आवश्यक है।
- एक समूह में पकड़े गए निराश्रित श्वानों को दूसरे समूह में नहीं मिलाना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक बैच की अलग से निगरानी हो और कोई भ्रम न उत्पन्न हो।
- रूग्णता के लक्षण दिखाने वाले किसी भी श्वान को अलग रखा जाना चाहिए और आवश्यक उपचार दिया जाना चाहिए।

iv. रेबीज प्रोटोकॉल:

- रेबीज ग्रसित निराश्रित श्वानों के लिए पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 के नियम 16 में निर्धारित तरीके का कठोरता से पालन किया जाना चाहिए। निराश्रित श्वान को पकड़ा जाना चाहिए और उसे आइसोलेशन वार्ड में रखा जाना चाहिए। फिर श्वान का निरीक्षण एक निरीक्षण दल द्वारा किया जाना चाहिए जिसमें स्थानीय प्राधिकरण द्वारा नियुक्त एक पशु चिकित्सक और एक पशु कल्याण संगठन का प्रतिनिधि शामिल हो। यदि श्वान को रेबीज होने की उच्च संभावना पाई जाती है तो उसे तब तक अलग रखा जाना चाहिए जब तक कि उसकी प्राकृतिक मृत्यु न हो जाए जो आमतौर पर 10 दिनों के भीतर होती है। यदि श्वान में रेबीज नहीं बल्कि कोई अन्य रूग्णता पाई जाती है, तो उस श्वान के इलाज और पुनर्वास के लिए एक पशु कल्याण संगठन को सौंप दिया जाना चाहिए।

- रेबीज की पुष्टि करने के लिए, रेबीज से मरने वाले हर निराश्रित श्वान के मस्तिष्क का नमूना निकटतम मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में भेजा जाना चाहिए और इस प्रकार से होनी वाली प्रत्येक मृत्यु के लिए एक रिपोर्ट प्राप्त की जानी चाहिए।
- रेबीज शवों का निपटान: शव को प्लास्टिक की थैली में बंद कर देना चाहिए क्योंकि मृत्यु के बाद रेबीज वायरस कुछ समय तक सक्रिय रह सकता है। सुरक्षात्मक कपड़ों के उपयोग सहित रेबीज की आशंका वाले किसी भी पशु के शव को संभालते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए जैसे- दस्ताने, प्रयोगशाला वर्दी, आंखों के चश्मे और सुरक्षात्मक जूते का प्रयोग आदि।

v. शल्य चिकित्सा:

- एबीसी सर्जरी करने के लिए पशु चिकित्सक को सबसे नवीनतम सर्जिकल तकनीक में औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। प्रयोग में लायी जाने वाली सर्जिकल तकनीक की समय-समय पर A.W.B.I. या भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा सिफारिश की जा सकती है।
- शल्य-चिकित्सा जीवाणुरहित परिस्थितियों में की जानी चाहिएऔर ऐसी तकनीकें अपनाई जानी चाहिए जो न्यूनतम ऊतक आघात पहुंचाए। अवशोषित करने योग्य सिलाई सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए और हालस्टेड के सर्जिकल सिद्धांतों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जिसमें शामिल हैं- पूर्ण एसेप्सिस, कोमल ऊतक हैंडलिंग, उपयुक्त हेमोस्टेसिस, रिक्त स्थान का पूर्ण विस्मरण, सावधानीपूर्वक ऊतक आवेदन, ऊतकों पर न्यूनतम तनाव और रक्त आपूर्ति का संरक्षण।
- यह कहना अस्वीकार्य है कि पूर्ण एसेप्सिस की आवश्यकता नहीं है क्योंकि निराश्रित श्वानो की प्रतिरक्षा प्रणाली अच्छी होती है।

vi. पोस्ट ऑपरेटिव देखभाल:

- एक पशु को सफल सर्जरी के बाद कम से कम 3 दिन और 3 रात के लिए ए.बी.सी. सुविधा/परिसर में पशु चिकित्सा पर्यवेक्षण के तहत रखा जाना चाहिए।
- एनेस्थीसिया और सर्जरी से उबरने वाले श्वानों को गर्म और सूखा रखने की जरूरत है। एक बार जब श्वान एनेस्थीसिया और सर्जरी से पर्याप्त रूप से ठीक हो जाते हैं, तो श्वानों को पीने के पानी की उपलब्धता होनी चाहिए।
- सर्जरी के बाद, श्वानों को चौबीसों घंटे एक पशु चिकित्सा सर्जन की निगरानी में होना चाहिएऔर श्वानों की स्थिति के आधार पर अतिरिक्त दी जाने वाली दवाओं के संबंध में निर्णय लिया जाना चाहिए। उपयुक्त आकार की 'बकेट' या 'एलिजाबेथन कॉलर' का उपयोग किया जा सकता है, जहां श्वान परेशान होकर घाव वाली जगहों पर आत्म आघात करते हैं - इसके अलावा एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीबायोटिक दवाओं की आवश्यकता होती है।
- यदि पोस्ट-ऑपरेटिव देखभाल करने वाला पशु चिकित्सक सर्जरी करने वाले पशु चिकित्सक से अलग है, तो रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग की एक मानक प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए किए जाने

की आवश्यकता है कि सर्जरी करने वाले पशु चिकित्सा सर्जन को अपने रोगियों की प्रगति के बारे में सही जानकारी प्राप्त हो ताकि तकनीकों में आवश्यक सुधारों की पहचान की जा सके और उन्हें सुधार कर अमल में लाया किया जा सके।

- सर्जरी के बाद उपयोग की जाने वाली एंटीबायोटिक्स और एनाल्जेसिक का विकल्प पशु चिकित्सा सर्जन द्वारा उनके अनुभव, केनेल में प्रचलित स्थितियों और श्वानों के स्वास्थ्य के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि उपयोग की जाने वाली एंटीबायोटिक्स व्यापक स्पेक्ट्रम वाली हैं।

गर्मियों में कूलर/फैन की व्यवस्था

सर्दियों में त्रिपाल/हीटर की व्यवस्था

vii रिहाई:

- कम से कम 3 दिनों की निगरानी अवधि के बाद, जो श्वान छोड़ने के लिए तैयार हैं उनकी पहचान अनुसार श्वानों को छोड़ने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।
- यह अनिवार्य है कि टीका लगाए गए और नसबंदी किए गए निराश्रित श्वानों को उसी स्थान पर वापस छोड़ दिया जाए जहां से उन्हें पकड़ा गया

था। ए.बी.सी. कार्यक्रम प्रभावी है, यह सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है।

viii प्रलेखीकरण तथा रिपोर्टिंग:

- ए.बी.सी. कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा बनाए जाने वाले आवश्यक रिकॉर्ड हैं:

(1) पकडे गए श्वान का अभिलेख निम्नलिखित सहित :

(i) उस क्षेत्र का नाम जहां से श्वान को पकड़ा गया था;

(ii) पकडने की तारीख और समय;

(iii) पकडने के लिए उत्तरदायी कैपचरिंग दस्ते के व्यक्तियों के नाम;

(iv) पकड़े गए श्वानों के बारे में विवरण-श्वान की टैग संख्या, नर, मादाओं की संख्या, रंग, पहचान चिन्ह और अनुमानित आयु।

(v) रिहाई की तिथि एवं समय।

(vi) उस क्षेत्र/ इलाके का नाम जहां पर श्वान को रिहा किया गया।

(2) प्रत्येक केनल के लिए फीडिंग अभिलेख एवं खाद्य सूची।

(3) प्रत्येक श्वानों के लिए उपचार अभिलेख।

(4) दवाईयों और वैक्सीन इन्वेंटरी।

(5) मृत्यु दर का अभिलेख।

(6) शल्य उपकरण आदि सहित उपकरण सूची।

(7) श्वान वैन लॉगबुक।

(8) कर्मचारी उपस्थिति पंजिका।

(9) अंग निरीक्षण अभिलेख।

(10) पिछले 30 दिनों के सीसीटीवी फुटेज।

- इन अंगों की गणना साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक आधार पर या जितनी बार स्थानीय एबीसी निगरानी समिति द्वारा तय की जाएगी, पशु जन्म नियंत्रण, 2023 के नियम-17 के अनुरूप अंग-निपटान प्रणाली के आधार पर की जाएगी। मतगणना एक अंग निरीक्षण दल द्वारा की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:
  - मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, या कोई प्राधिकृत पशु चिकित्सा अधिकारी;
  - स्थानीय प्राधिकरण के परियोजना प्रभारी पशु चिकित्सा अधिकारी;
  - राज्य पशु कल्याण बोर्ड/एस.पी.सी.ए. के प्रतिनिधि।
- एबीसी कार्यक्रम आयोजित करने वाले पशु कल्याण संगठन को अंग निरीक्षण दल का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए।
- प्रत्येक दिन के अंगों को एक प्लास्टिक बॉक्स में अलग से संग्रहित किया जाना चाहिए, जिस पर सत्यापन की तिथि अंकित हो।
- अंग निरीक्षण दल सभी अंगों की गणना करेगा और उस प्रत्येक 15 दिवस में कार्यान्वयन एजेंसी की प्रगति रिपोर्ट को सत्यापित करेगा।

- गिने हुए अंगों को अंग निरीक्षण दल की उपस्थिति में, जेंटियन वायलेट डाई का छिड़काव करके और क्रशिंग उपरांत गहरा गाड़ करके तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा। अंगों को रंगने और गाड़ने की प्रक्रिया की फोटो खींची जानी चाहिए और समय और तिथि की मोहर के साथ वीडियो-रिकॉर्डिंग की जानी चाहिए।
- राज्य निगरानी और कार्यान्वयन समिति प्रत्येक एबीसी केंद्र में हर वर्ष कम से कम एक औचक निरीक्षण करेगी, ताकि इन प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके और गैर-अनुपालन की रिपोर्ट के मामले में जांच की जा सके।
- अंग निरीक्षण दल द्वारा अंगों की गिनती के माध्यम से सत्यापित सर्जरी के लिए ही प्रतिपूर्ति की जाएगी।

ix शिकायत के मामले:

यदि निराश्रित श्वानों, या किसी 'क्रूर' या 'आक्रामक' श्वानों के संबंध में शिकायतें की जाती हैं, तो निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाना चाहिए:-

- स्थानीय प्राधिकरण की एबीसी निगरानी समिति को श्वान के काटने/उपद्रव के बारे में शिकायतें प्राप्त करने के लिए एक नियंत्रण सेल स्थापित करना चाहिए। इन शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए। शिकायत के सभी विवरण (शिकायतकर्ता का पूरा नाम, शिकायतकर्ता का पूरा पता, शिकायत की तिथि, समय और स्थान, शिकायत की प्रकृति आदि सहित) स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थायी रिकॉर्ड के लिए एक रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए।
- नगर निकाय अथवा पशु कल्याण संगठन, स्थानीय एबीसी निगरानी समिति का हिस्सा हो,जिससे एबीसी कार्यान्वयन एजेंसी को शिकायत की सूचना दी जाए। एजेंसी को कथित काटने का भौतिक रूप से सत्यापन सुनिश्चित हो सके। काटने के बाद के उपचार के रिकॉर्ड प्राप्त करे और आगे के विवाद को रोकने के लिए शमन रणनीति तैयार करे, जिसमें समुदाय को श्वान के काटने की रोकथाम, जागरूकता अभियान, श्वानों को खिलाने के स्थानों को चिन्हित करने और ए.बी.सी. को प्राथमिक रूप से करने और टीकाकरण अभियान शामिल है।
- यदि उस क्षेत्र में शिकायतें बनी रहती हैं, ऐसे श्वान को श्वान पकड़ने वाले दस्ते द्वारा मानवीय रूप से पकड़ा जाना चाहिए। पकड़ने का कार्य ऊपर उल्लिखित तरीके से होना चाहिए। श्वान पकड़ने वाले दस्ते में (i) डॉग वैन का ड्राइवर (ii) श्वानों को पकड़ने में प्रशिक्षित स्थानीय प्राधिकरण के दो या अधिक कर्मचारी (iii) किसी भी पशु कल्याण संगठन का एक प्रतिनिधि शामिल होगा। दस्ते के प्रत्येक सदस्य के पास प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया एक वैध पहचान पत्र होगा।

- स्थानीय प्राधिकरण, पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 के अनुसार-श्वान को अवलोकन के लिए ए.बी.सी. परिसर में ले जाया जाएगा, ताकि उसके क्षेत्र में श्वानों और मनुष्यों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस प्रयोजन के लिए, स्थानीय निकाय पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 के अनुसार

एबीसी केंद्र, डॉग वैन, ड्राइवर, डॉग कैचर और एंबुलेंस व पर्याप्त संख्या में केनेल उपलब्ध कराएगा।

- 7 दिनों की अवधि में श्वान का निरीक्षण में रखने के उपरांत उपलब्ध जानकारी का आकलन करने और यह तय करने के लिए कि क्या श्वान वास्तव में आदतन काटने वाला है, एक समिति का गठन अलग-अलग विषयों के आधार पर किया जाएगा। इसमें स्थानीय प्राधिकरण का एक प्रतिनिधि, स्थानीय प्राधिकरण की ए.बी.सी.निगरानी समिति द्वारा अनुमोदित योग्य पशु चिकित्सक और A.W.B.I.द्वारा मान्यता प्राप्त पशु कल्याण संगठन अथवा जनपद पशु क्रूरता निवारण समिति का एक प्रतिनिधि शामिल होना चाहिए। जहां सम्भव हो वहाँ A.W.B.I.का प्रतिनिधि भी उक्त समिति का सदस्य भी सम्मिलित कर लिया जाए। यदि समिति अवलोकन के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि श्वान आदतन काटने वाला नहीं है, तो ऐसे श्वान को नसबंदी और टीकाकरण के उपरांत उस क्षेत्र में वापस छोड़ देना होगा जहाँ से उसे उठाया गया था ।
- यदि समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि श्वान की नसबंदी और टीकाकरण के उपरांत श्वान को अधिक समय तक निगरानी में रहने की आवश्यकता है, तो लिखित रूप में अंकित कारणों के आधार पर यह समिति एक से तीन सप्ताह तक की अवधि के बारे में निर्णय लेगी। यदि आवश्यक हो तो श्वान को आगे अवलोकन और उपचार के लिए उसे S.P.C.A.द्वारा संचालित अथवा राज्य-अधिसूचित इन्फर्मरीज या अस्पतालों में आवश्यक उपचार प्रदान किया जाएगा।
- इस तरह के अवलोकन के समय श्वान की नियमित पशु चिकित्सा जांच जरूरी है। यदि निरंतर अवलोकन और मूल्यांकन के बाद समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि श्वान वास्तव में बिना उकसावे के आदतन काटने वाला है तो श्वान को वापस नहीं छोड़ा जाएगा।
- ऐसे श्वान के मामले की समिति द्वारा द्वैमासिक आधार पर समीक्षा की जानी चाहिए और ऐसे पशु के संबंध में सभी रिकॉर्ड, उपचार के रिकॉर्ड, समिति द्वारा अवलोकन और इसकी सिफारिशों सहित बनाए रखा जाएगा।
- इस तरह के श्वान को तब रिहा कर दिया जाएगा जब उसके व्यवहार में उपयुक्त रूप से परिवर्तन हो जाएगा और उसे रिहाई के लिए तैयार माना जाएगा। किसी भी परिस्थिति में ऐसे श्वान को उसके मूल क्षेत्र के अलावा किसी अन्य क्षेत्र में नहीं छोड़ा जाएगा जहां से इसे अवलोकन के लिए उठाया गया था।

x प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

- ए.बी.सी. कार्यान्वयन एजेंसी के कर्मचारियों को ए.डब्ल्यू.बीआई द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण प्रतिष्ठान से प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए और प्रशिक्षण पूरा होने के बाद ही कार्यक्रम में कार्य प्रारंभ करना चाहिए।
- ए.बी.सी. कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा नियोजित स्ट्रीट डॉग पकड़ने वालों को मानवीय रूप से निराश्रित श्वान को पकड़ने में कुशल बनने के लिए A.W.B.I.द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण एजेंसी द्वारा कम से कम एक महीने

के लिए प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। निराश्रित श्वानों को पकड़ने के दौरान कर्मचारियों पर नियमित नजर रखी जाए।

- ए.बी.सी. सर्जरी करने के लिए पशु चिकित्सा सर्जन को सबसे नूतन सर्जिकल तकनीक में औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए।
- सर्जन की सहायता करने वाले पैरावेट्स को भी पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जैसा कि श्वानों को संभालने वाले किसी भी कंपाउंडर या अन्य कर्मचारियों को होना चाहिए। कल्याण के उच्च मानकों को प्राप्त करने के लिए नर्सों, वाशरों, केनेल प्रबंधन कर्मचारियों आदि का दक्षता निर्माण और प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए।

अध्याय-9

भारत में देशी श्वानों की प्रमुख प्रजातियाँ

1	रामपुर ग्रेहाउंड	20वीं शताब्दी के शुरुआत में रामपुर में अफगान हाउंड और इंग्लिश ग्रेहाउंड की क्रॉसब्रीड से तैयार की स्वदेशी प्रजाति- जिसका नाम पड़ा रामपुर ग्रेहाउंड। इसे शिकार करने के उद्देश्य से तैयार किया गया था तथा यह अपने इस काम में कुशल निकले हैं। रामपुर ग्रेहाउंड किसी एक मास्टर की बात मानने वाले श्वान होते हैं। यह आपको एक जगह सुस्त पड़े दिखाई देंगे लेकिन समय पड़ने पर इनमें अद्भुत फुर्ती दिखती है।	
2	कुमाऊं मस्टिफ	कहते हैं आज से 300 ईसा पूर्व सिकंदर अपने साथ एक श्वान लाया था। उसी श्वान की प्रजाति अब यहां कुमाऊं मस्टिफ के नाम से जानी जाती है। एक तरह से यह पहाड़ों के रखवाले हैं। अपने स्वामी के घर से लेकर उसके खेत तथा उनकी गाय, बकरी भेड़ों जैसे जीवों की रक्षा करते हैं । अब इनकी संख्या बहुत कम रह गई है। बताया जाता है कि भारत में कुमाऊं मस्टिफ प्रजाति के मात्र 150 से 200 श्वान ही बचे हैं।	
3	गद्दी श्वान	सामान्यत: एक बात कही जाती है कि श्वानों का शेरों से क्या तुलना लेकिन अगर आप गद्दी श्वान अर्थात् भोटिया प्रजाति के श्वानों की बात कर रहे हैं तो आपको अपनी बात त्रुटिपूर्ण लग सकती है। हिमालयन प्रदेशों में मिलने वाले इस प्रजाति के श्वान एक तरह से शेर की तरह ही दिखते हैं और यह केवल दिखते ही नहीं बल्कि समय आने पर हिम तेंदुओं, चीते या गुलदार से भिड़ भी जाते हैं। यह हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर जैसे हिमालयन प्रदेशों में पाए जाते हैं। यह संसार की सबसे महंगी प्रजाति में से एक तिब्बतियन मस्टिफ जैसे लगते हैं। यह भी माना जाता है कि गद्दी श्वान प्रजाति तिब्बतियन मस्टिफ की ही क्रॉस ब्रीड है। हालांकि दोनों के मूल्य में अत्यधिक अन्तर होता है। भोटिया श्वान को स्वामिभक्त माना जाता है। इन्हें यहां के चरवाहों द्वारा पाला जाता रहा है। इस प्रजाति के दो श्वान 500 से अधिक भेड़ों को संभाल लेते हैं और किसी भयानक जंगली जीव के आक्रमण करने पर अपने स्वामी और भेड़ों को बचाने के लिए उन से भिड़ भी जाते हैं। यह जितना खाते हैं उतनी ही इनके अंदर शक्ति विकसित होती है	
4	मुधोल हाउंड	अमेरिका में इसे कैरावान हाउंड कहा जाता है, वहीं कर्नाटक के कई क्षेत्रों में यह करवानी नाम से प्रचलित है। इसे विशेष रूप से इसकी स्वामीभक्ति के लिये जाना जाता है। कर्नाटक चुनाव के समय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी जी ने स्वामिभक्ति का पर्याय देते हुए इस प्रजाति का नाम लिया था। अंग्रेजों के शासन काल में मुधोल हाउंड की प्रसिद्धि चरम पर थी। मुधोल हाउंड श्वानों की स्वामिभक्ति, शिकारी गुण और चपलता के कारण ही 2017 में पहली बार देशी प्रजाति के श्वानों के रूप में इन्हें भारतीय सेना में शामिल किया गया था। कर्नाटक के बगलकोट क्षेत्र के मुधोल में पाई जाने वाली श्वानों की ये प्रजाति शिकार और गति के मामले में जर्मन शेफर्ड से दुगुनी तेज मानी जाती है।	

5	जोनंगी	जोनंगी प्रजाति के श्वान विशेष रूप से आँध्रप्रदेश में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यह कर्नाटक, पश्चिमी बंगाल तथा तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भी पाए जाते हैं। इनके बहुत छोटे और मुलायम बाल इन्हें अन्य श्वानों से अलग बनाते हैं। जोनंगी खेतों तथा घरों की रखवाली के लिए जाने जाते हैं। यह किसी एक व्यक्ति या एक परिवार के ही स्वामिभक्त होते हैं तथा उनकी ही बात मानते हैं। इन्हें विशेष रूप से शिकार तथा चरवाही के लिए पाला जाता है। इनकी एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये गड्ढा खोदने में कुशल होते हैं।	
6	परियाह	परिआह प्रजाति के श्वान संसार के सबसे पुरानी प्रजाति में से एक हैं। मोहनजोदड़ो में भी इनके अवशेष मिले हैं। माना जाता है कि यह प्रजाति 4500 वर्ष पुरानी है। इन्हें साउथ एशियन डॉग्स भी कहा जाता है। यह वही श्वान हैं जिन्हें आप सामान्यत: गांव देहात से लेकर शहरों की तंग गलियों तक में दौड़ता देखते हैं। इस प्रजाति के श्वान को पालना आसान होता है। पहली बात यह श्वान यहां की जलवायु में इस तरह से ढल चुके हैं कि इनके रूग्ण पड़ने की संभावना बहुत ही कम होती है, दूसरा यह जल्दी थकते नहीं हैं। इनके खाने पर आपको अधिक व्यय नहीं करना पड़ता बिस्किट से लेकर दूध, रोटी, ब्रेड कुछ भी खा लेते हैं। रखरखाव में अधिक व्यय नहीं करना पड़ता है। एक ओर जहां आप विदेशी प्रजाति के श्वानों पर ₹ 10 हज़ार तक व्यय करते हैं वहीं यह श्वान आपको नि:शुल्क में मिल जाएंगे।	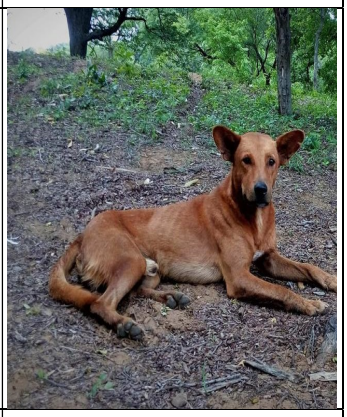
7	चिप्पीप-राई	श्वानों की यह वही प्रजाति है जिसके बारे में अभी हाल ही में देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी जी ने मन की बात प्रोग्राम में चर्चा की थी। तमिलनाडु के मदुरै का एक शहर है चिप्पीपराई। श्वान की इस प्रजाति का नाम इसी शहर के नाम पर रखा गया है। अधिकतर यह प्रजाति तमिलनाडु में पाई जाती है। इसके साथ ही केरल के पेरियार झील के पास भी इस प्रजाति के श्वान मिलेंगे। यह पक्के शिकारी श्वान हैं जिन्हें लोग विशेष रूप से शिकार करने के लिए ही पालते हैं। तेज दौड़ना और 10 फुट से अधिक लंबी छलांग लगाना इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। हल्के पीले, काले, लाल भूरे, काले रंग के कोट और सिल्वर-ग्रे रंग में पाए जाने वाले यह श्वान अन्य श्वानों से अधिक समझदार होते हैं।	
8	राजापला-यम	दूध के रंग जैसी सफेद पतली खाल वाली श्वानों की इस प्रजाति का नाम तमिलनाडु के विरुधुनगर जनपद के राजापलयम शहर के नाम पर रखा गया है। लंबे और दुबले दिखने वाले यह श्वान जंगली सूअरों के शिकार और रखवाली के लिए जाने जाते हैं। आम श्वानों का जीवन जहां 10 से 15 वर्ष होता है, वहीं राजापलयम प्रजाति के श्वान 20 वर्ष से अधिक का जीवन जीते हैं। 9 जनवरी, 2005 को भारतीय डाक सेवा द्वारा 4 स्वदेशी नस्ल के श्वानों के सम्मान में पोस्टेज स्टांप जारी किया गया था। जहां अन्य श्वान के स्टांप का मूल्य ₹ 5 रखा गया, वहीं राजापलायम प्रजाति के स्टांप का मूल्य ₹ 15 था। राजापलायम प्रजाति अपनी बहादुरी, बुद्धिमानी और चपलता के लिए जानी जाती है।	
9	कन्नी	तमिल में कन्नी का आशय होता है शुद्ध। इस प्रजाति को इसकी स्वामिभक्ति और इसके सच्चे मन के लिए कन्नी नाम दिया गया है। इस प्रजाति के श्वान किसी भी हाल में अपने स्वामी और उनके घर की रक्षा करते हैं। इसके साथ ही जंगली जीवों के शिकार के लिए भी लोग इन्हें पालते हैं। कन्नी और चिप्पीपराई प्रजाति के श्वान लगभग एक जैसे ही दिखते हैं लेकिन दोनों की प्रजाति अलग अलग हैं। पहले के समय में कन्नी नस्ल को अधिकतर जमींदार लोग पाला करते थे। ऐसे श्वान उनकी फसलों और घर की रखवाली के काम आते थे। कन्नी नस्ल के श्वानों की आयु 14 से 16 वर्ष तक होती है। यह ₹3000 से 8000 तक की मूल्य में मिल जाते हैं।	

10	कोम्बाई	तमिलनाडु में पाई जाने वाली श्वान की प्रजाति शिकार और घर की सुरक्षा के लिए जानी जाती हैं। कोम्बाई प्रजाति भी इनसे अलग नहीं है। तमिलनाडु की अन्य डॉग ब्रीड की तरह कोम्बाई का नाम भी यहां के शहर कोम्बाई पर ही रखा गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के बाहर कोई ऐसा बैठा हो जो चुप चाप प्रहरी की तरह खड़ा रहे और चुपके से घर में घुसने वाले की अच्छे से समाचार ले तो कोम्बाई इसके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। इसी वर्ष सीआरपीएफ ने कोम्बाई प्रजाति के श्वानों को भर्ती किया है। इस प्रकार के श्वान चालक, स्वामीभक्त होने के साथ साथ शक्तिशाली भी होते हैं	

Annexure-A

Sample designs for Animal Birth Control Campus

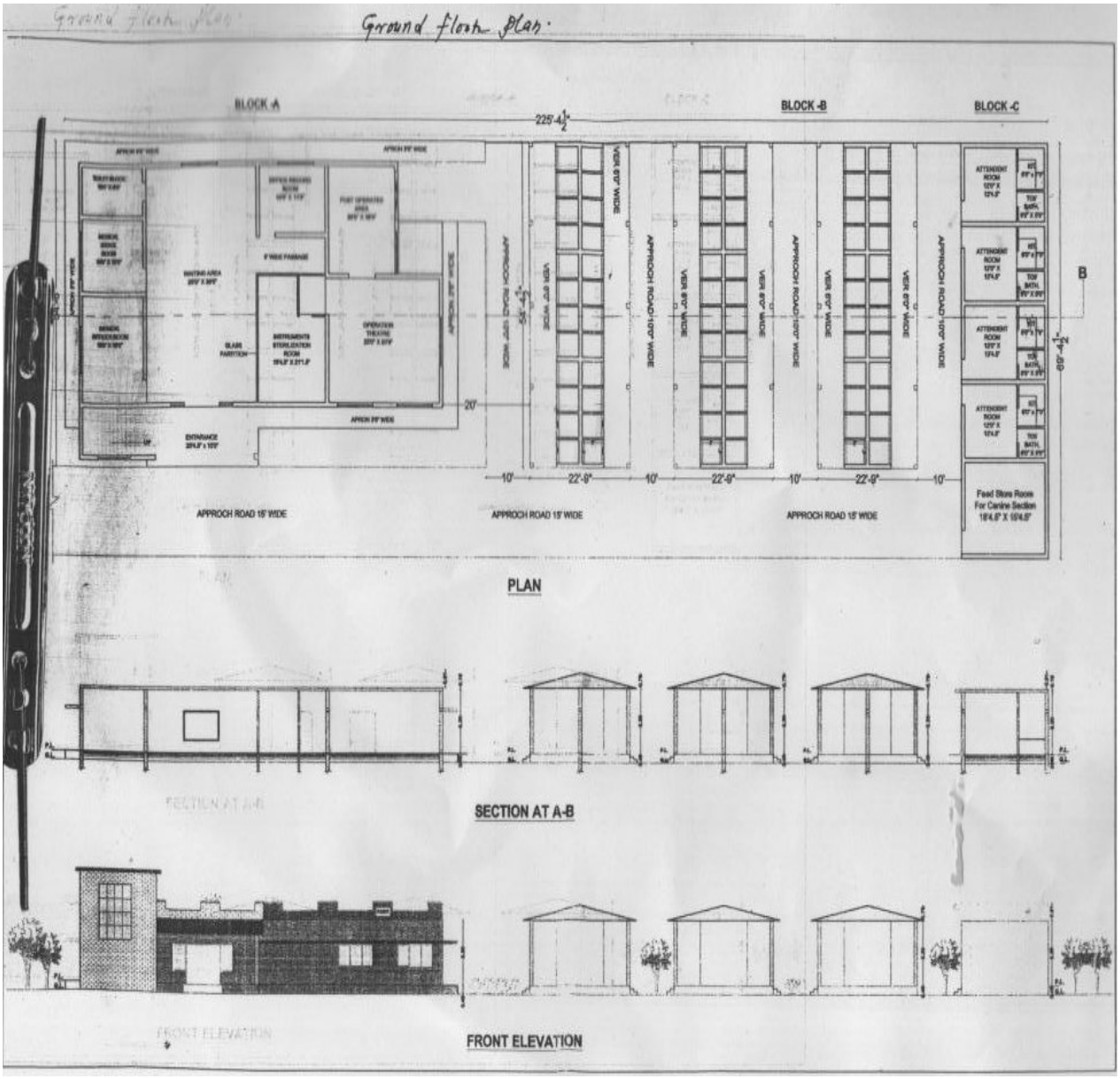

परिशिष्ट

1- पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023

2-ए.बी.सी. केंद्र, जरहरा, लखनऊ।

3-श्वान पशु जन्म नियंत्रण अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन समिति, नगर विकास विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।

4-माननीय प्रधानमंत्री जी के 68वें 'मन की बात' कार्यक्रम।

5- पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम (श्वान का प्रजनन और विपणन) नियम, 2017 का नियम-13

6- पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम (पालतू जीव की दुकान) नियम, 2018 का नियम-14

7-पशु क्रूरता निवारण अधिनियम-1960

8- मानक संचालन प्रक्रिया, नगर विकास विभाग-2023

9- माननीय सर्वोच्च न्यायालय S.L.P.(C) 691

10-दिल्ली उच्च न्यायालय की टिप्पणियां [डॉ. माया डी छबलानी बनाम राधा मित्तल व अन्य, आई.ए. 2021/4164]।

11-20वीं पशुधन गणना-2019 की अखिल भारतीय रिपोर्ट।

12- बैठक, चर्चा, सुझाव और कमेंट्स।

13-नगर निगम लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद इत्यादि का निरीक्षण एवं भ्रमण।

14- इन्टरनेट एवं विशेषज्ञों से सुझाव।

श्वान पशु प्रबन्धन मैनुअल

(परामर्शी मार्ग-निर्देशिका)-2023

नगर विकास विभाग
उत्तर प्रदेश शासन